पशुधन विभाग
उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक
(परफॉरमेंस बजट)

आय–व्ययक
वर्ष 2024–25

अनुदान संख्या–15
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक सर्वप्रथम सदन में वर्ष 1974–75 में प्रस्तुत किया गया था। तब से अनवरत रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है, ताकि विभागीय कार्यकलापों, पूर्व वर्षों की उपलब्धियों, वर्तमान लक्ष्यों एवं अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जा सके। इससे वित्तीय परिव्ययों को भौतिक लक्ष्यों से सम्बद्ध करने का यथासम्भव प्रयास किया गया है।

आशा है यह कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक वर्ष 2024–25 में परिव्ययों के उपयोग पर उचित नियन्त्रण रखने में सहायक सिद्ध होगा तथा इससे योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में समुचित सहायता मिलेगी।

लखनऊः
दिनांकः

Digitally Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 06-02-2024 12:33:57
Reason: Approved

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव,
पशुधन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1–5
2.	वर्ष 2023–24 हेतु प्राथमिकतायें	5–6
3.	विभागीय संस्थायें	6
4.	ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम	7
5.	वित्तीय आवश्यकतायें	
	(क) कार्यक्रम का वर्गीकरण	8
	(ख) उद्देश्य वार वर्गीकरण	9
	(ग) वित्तीय साधनों का स्रोत	9
6.	वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण	
	(1) निदेशन तथा प्रशासन	10
	(2) पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य की वित्तीय आवश्कताओं का विवरण	10
	(3) पशु विकास एवं पशु प्रजनन कार्यकम	11–15
	(4) उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्	15–16
	(5) पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	16–20
	(6) कुक्कुट विकास	20–25
	(7) भेड़ तथा ऊन विकास	25–26
	(8) सूकर विकास एव बकरी विकास	26–27
	(9) अन्य पशुधन विकास (राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र)	28–30
	(10) चारा तथा चरागाह विकास	31–32
	(11) प्रसार तथा प्रशिक्षण	32
	(12) प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी	32–34
	(13) 800–अन्य व्यय	35
	(अ) गौशाला विकास	35–36
	(ब) चर्म शोधन एवं पशु शव का उपयोग	37
7.	विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभागीय प्राप्तियॉ	38
8.	स्वीकृत पदों की सूची	39–42
9.	पशुपालन विभाग उ0प्र0 का संगठनात्मक ढॉचा	43–45

पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ

उत्तर प्रदेश, विशाल जन संख्या पशु संख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की 23 करोड़ से अधिक आबादी को प्रदेश सरकार से बहुत सी अपेक्षायें है। इन जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संकल्प लिये गये है विशेषकर गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं सर्वधन के कार्यो को तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रदेश में निराश्रित छुट्टा अन्ना पशुओं से कृषकों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/योजनायें संचालित की जा रही हैं।

प्रदेश सरकार के संकल्प में निहित 2022 तक कृषको की आय को दोगुनी किये जाने हेतु कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत पशुधन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर पशु स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता हेतु अध्ययन दल बना कर अल्प अवधि में ऐसी सुविचारित नीति कार्य योजना तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक उत्थान आर्थिक उन्नति के लिए कुक्कुट के क्षेत्र में सफल ''कुक्कुट विकास नीति'' जैसे अन्य माडल तथा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिए सम्भावनाओं का पता लगाने, पशुपालकों को विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कराने तथा पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है।

पशुपालन विभाग की सरंचना

प्रदेश में पशुपालन विभाग अर्न्तगत 2 निदेशक के पद सृजित है यथा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) तथा निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) दोनों निदेशकों को विभिन्न योजनाओं की संरचना, स्वीकृति एवं कार्य क्रियान्वयन में सहयोग हेतु चार अपर निदेशक (ग्रेड–1), एक वित्त नियत्रंक एवं एक अपर तथा संयुक्त निदेशक (प्रशासन) का पद भी सृजित है।

(1) मुख्य उद्देश्यः–

विभाग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाशील हैः–

1– प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना।

2– समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना। विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।

3– पशुधन एवं कुक्कुट विकास के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास किया जाना।

4– प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत प्रजनन एवं बधियाकरण कार्यक्रम का संचालन करना।

5– विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना।

6– पशुधन हेतु पर्याप्त हरे चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

7– गरीबी उन्मूलन एवं भुखमरी को समाप्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।

8– गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।

9– महिला सशक्तीकरण, लिंग भेद एवं असमानता मुक्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।

10– पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

11– उद्यमिता विकास से सम्बंधित योजनाओं को संचालित करना।

12– डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।

(2) पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रमः–

1–पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
2–गाय एवं भैंस विकास।
3–कुक्कट विकास ।
4–भेड़–बकरी विकास।
5–सूकर विकास ।
6–अन्य पशुधन विकास
7–चारा और चरागाह विकास ।
8–गौशाला एवं गो–सदनों का विकास।
9–गो सेवा आयोग का सुदृढ़ीकरण ।
10–पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम ।

11–प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यकीय ।
12–बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें।
13–उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन।
14–वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन ।
15–राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें ।
16– राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजनायें।
17– नेशनल लाईवस्टाक मिशन की योजनायें।

उपलब्धियॉ

देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पशुधन के सर्वागीण विकास हेतु कृषकों के हित में अनेको लाभकारी योजनायें संचालित की जा रही है तथा उनमे गति प्रदान करने के लिये नये अभिनव प्रयोगों से प्रदेश में नयी योजनाओं के माध्यम से उन्हे लागू किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में त्वरित गति से नस्ल सुधार हेतु उ0प्र0 पशु प्रजनन नीति–2013 को पुनरीक्षित कर पशु प्रजनन नीति कियान्यवित की जा रही है। पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा, के साथ–साथ नवीन पशुचिकित्सालयों का निर्माण तथा वृहद गौ–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ अस्थायी गो–आश्रय स्थल स्थापित किये जा रहे है। नस्ल सुधार हेतु सेक्स सार्टेड सीमेन के उपयोग से गोवंशीय पशुओं में मात्र बछिया उत्पादन हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। मा0 मुख्य मंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत तथा पोषण–भिशन में इच्छुक कृषक/पशुपालकों को निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों से गोवंश सुपुर्दगी में दिये जा रहे जो अधिकतम 4 गोवंश प्रति लाभार्थी पशुपालक दिये जाते है।

- वर्ष 2018–19 में 305.189 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन कर देश में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 2019–20 में 318.639 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादनकिया गया है वर्ष 2020–21 में 313.591 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादनकिया गया है। वर्ष 2021–22 में 338.736लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादनकिया गया तथा वर्ष 2022–23 में 362.414 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन किया गया है।
- वर्ष 2018–19 में 26050.01 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है वर्ष 2019–20 में 34049. 29 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है वर्ष 2020–21 में 36288.91 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है वर्ष 2021–22 में 40411.68 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया तथा वर्ष 2022–23 में 45585.48 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है।
- वर्ष 2018–19 में 1227.094 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया है वर्ष 2019–20 में 1166.000 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2020–21 में 1037.550 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया है वर्ष 2021–22 में 1127.600 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया तथा वर्ष 2022–23 में 1191.760 हजार टन मांस का उत्पादन किया गया है।
- कुक्कुट विकास नीति 2013 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 से विगत 6 वर्षो में 30,000 कमर्शियल लेयर पक्षी क्षमता की 400 इकाइयां व 10,000 कमर्शियल लेयर पक्षी क्षमता की 365 इकाइयां एवं 10000 ब्रायलर पैरेन्ट पक्षी की 45 इकाइयां स्थापित की गयीं है। साथ ही रू0 1112.79 करोड लाख का निवेश हुआ एवं 101680 व्यक्तियों का स्वरोजगार सृजन भी हुआ।
- वर्ष 2018–19 में टीकाकरण में 1613.44 लक्ष्य निर्धारित किया गया था ,जिसके सापेक्ष पूर्ति 1434.01 लाख हुआ है। वर्ष 2019–20 में टीकाकरण में 1613.44 लक्ष्य निर्धारित किया गया था ,जिसके सापेक्ष पूर्ति 1381.83 लाख हुआ है। वर्ष 2020–21 में टीकाकरण का लक्ष्य 1064.59 लाख निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष पूर्ति 996.51 लाख का है तथा वर्ष 2021–22 में 1660.24 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 583.47 लाख टीकाकरण किया गया। वर्ष 2022–23 में 1660. 24 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 1090.50 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया। वर्ष 2023–24 में 1705.60 लाख लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन 281.42 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया।
- वर्ष 2018–19 में 133 लाख, वर्ष 2019–20 में 140.80 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया था। वर्ष 2020–21 में 144.86 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। वर्ष

2021–22 में 87.95 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया। वर्ष 2022–23 में वार्षिक लक्ष्य 174 लाख के सापेक्ष 166.22 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया गया।

- लम्पी स्किन डिजीज रोग के प्रभाव को कम करने के लिये बेल्ट फॉरमेशन कर रोग के फैलाव को रोका गया जिससे पश्मिाचंल से पूर्वाचंल में बीमारी का प्रभाव नहीं जा सका। डेढ करोड़ से अधिक टीकाकरण कराया गया, जिससे पशु मृत्यु न्यूनतम रही। जबकि निकटवर्ती राजस्थान,हरियाणा एवं उत्तराखंड में बीमारी की भयावहता अधिक रही। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की लम्पी स्किन डिजीज के फैलाव को नियंत्रित करने के लिये सराहना की गयी।
- प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा पशुओं से फसलों के नुकसान से बचाने हेतु प्रदेश में गोसंरक्षण के लिये अस्थाई गोआश्रय स्थल–6376,गोवंश वन्य विहार/वृहद गोसरंक्षण केन्द्र–297, कांजी हाउस–314, कान्हा गोशाला–269, अर्थात कुल 7256 गो–आश्रय स्थलों में 1462585 गोवंश संरक्षित है, सुपुदर्गी में दिये गये गोवंश–185169, कुपोषित परिवारों को दिये गये गोवंश की संख्या 3607,गोवंश के भरण–पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 तक रू0 168161.22 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में अद्यतन रू0 224.54 करोड़ जनपदों को निर्गत किया गया है। वर्ष 2022–23 में 75 वृहद गोसरंक्षण केन्द्रों के सापेक्ष 75 केन्द्रों हेतु निर्माण की प्रथम एवं द्वितीय किस्त रू0 90.00 लाख अवमुक्त की गयी। वर्ष 2023–24 में 81 नये वृहद गोसरंक्षण केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तथा निर्माण की प्रथम किस्त 6480 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।
- प्रदेश में विभाग द्वारा गोशालाओं का पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है। अद्यतन 592 गोशालायें पंजीकृत हैं।
- डी0बी0टी0 के माध्यम से गोआश्रयस्थलो को 340.79 करोड़ निर्गत किये जा चुके है।साथ ही सहभागिता लाभार्थियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से 91.80 लाख का भुगतान किया जा चुका है।
- अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम(राज्य योजना)–प्रदेश में उपलब्ध पशुधन हेतु समस्त 75 जनपदों में 4000.00 हे0 क्षेत्रफल में हारा चारा उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक चयनित लाभार्थी को कम से कम 0.1 हे0 तथा अधिकतम 0.5 हे0 क्षेत्रफल हेतु रू0 500.00 प्रति ईकाई से (0.1 हे0 क्षेत्रफल) चारा बीज निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के लिए धनराशि रू0 200.00 लाख की मांग प्रस्तावित की गयी उक्त कार्ययोजना वर्ष 2023–24 की खरीफ/रबी/जायद सीजन में कियान्वित करने हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत कुल 40000 पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।
- प्रक्षेत्र पर उत्पादित चारा बीज का वर्ष 2017–18 में 8581.87(कु0)वर्ष 2018–19 में 9858.1(कु0) वर्ष 2019–20 में 11004.79(कु0) वर्ष 2020–21 में 10093.8(कु0) वर्ष 2021–22 में10174. 87(कु0) वर्ष 2022–23 में 8814.97(कु0) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वितरित किया गया।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत 15.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना लक्षित था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2022–23 में कुल 977808 आवेदन पत्र एकत्रित किये गये, जिसमें मार्च 2023 तक 262945 किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को (पशुपालन घटक) दिये गये हैं।
- मोबाइल वेटनरी यूनिट (MVU)–भारत सरकार के वित्त पोषण से प्रदेश में प्रति 01 लाख पशुओं पर 01 मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना की गयी है। मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित है देश में पहली बार हाईब्रिड मोड में 5 सेवा प्रदाताओं के द्वारा 5 जोन में मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित की जा रही है। MVU के लिये टोल फ्री नं0–1962 पर पशुपालकों द्वारा काल किये जाने पर मोबाइल वेटनरी यूनिट उनके द्वार पर पहुच कर पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा, बधियाकरण, सर्जरी व अन्य पशु चिकित्सा से सम्बन्धित अन्य कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। नव 159 MVUसंचालित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। अनुमोदनोपरान्त नव 159MVUका भी संचालित कर दिया जायेगा।

ब–उत्पादन स्तरः– प्रदेश में पशुओं का उत्पादन स्तर निम्नलिखित हैः–

तुलनात्मक उत्पादकता स्थिति (पशुपालन)											
उत्पाद	उत्पादकता स्थिति										
	2017–18 लक्ष्य	2017–18 पूर्ति / वृद्धि दर	2018–19 लक्ष्य	2018–19 पूर्ति	2019–20 लक्ष्य	2019–20 पूर्ति	2020–21 लक्ष्य	2020–21 पूर्ति (अनन्तिम)	2021–22 लक्ष्य	2021–22 पूर्ति (अनन्तिम)	2022–23 पूर्ति (अनन्तिम)
दूध (lac MT)	303.32	290.517 (4.62%)	340.33	305.189	369.46	318.639	401.00	313.591	435.00	338.736	362.417
अण्डा (lac nos)	25327.40	24398.05 (6.59%)	291.86	26050.007	32105.50	34049.294	35000	36288.906	38850.00	40411.68	45585.48
ऊन (lac kg)	14.04	12.99 (1.05%)	14.30	13.159	14.580	13.286	14.87	8.863	15.160	9.306	8.19
मॉस (thosand T)	-	1151.124 (-4.49%)	1370.30	738.470	1438.80	1166.000	1510.74	1037.550	1586.00	1127.600	1191.76

(5) विभागीय आय–व्ययक स्तरः– (अनुदान संख्या–15 के अधीन)

विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाओं के अन्तर्गत धन की व्यवस्था की गयी है। विभाग के अन्तर्गत निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैः–

1. निदेशन तथा प्रशासन
2. पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
3. पशु तथा भैंस विकास
4. कुक्कुट विकास
5. भेड़ तथा ऊन विकास
6. अन्य पशुधन विकास
7. चारा तथा चारागाह विकास
8. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय
9. पशु चिकित्सा शिविर एवं प्रचार–प्रसार

(6) गत पॉच वर्षो के बजट का तुलनात्मक विवरण :–

(रू0 लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान		
	राजस्व	पूँजीगत	योग
2018–19	161581.27	19287.77	180869.04
2019–20	175789.76	24597.87	200387.63
2020–21	183058.60	26109.98	209168.58
2021–22	223785.72	19481.23	243266.95
2022–23	228370.26	18603.03	246973.29
2023–24	276939.19	26555.14	303594.33

वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार द्वारा निम्न धनराशि का आय–व्ययक प्राविधान हुआ है जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र0सं0	मद का नाम	(रू0 लाख में)
		आय–व्ययक प्राविधान
1	अधिष्ठान	148026.62
2	आकस्मिक	149729.01
	योग मतदेय	297755.63
	भारित	13.79

पशुपालन का उद्देश्य

1. मानव आहार में उच्च गुणवत्ता की पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्वि करना।
2. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को उन्नतशील कुक्कुट पालन की प्रारम्भिक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराना।
3. कुक्कुट को अपनी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के छोटे/बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना।
4. कुक्कुट पालकों के पक्षियों में रोगों का सामान्य निदान तथा कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना।
5. पशु/पक्षी के आहार की गुणवत्ता हेतु विभिन्न आहारों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
6. कुक्कुट पालकों के कुक्कुट उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने तथा उनके विपणन में सहयोग प्रदान करना।
7. बैक्यार्ड कुक्कुट पालन हेतु चूजे तैयार करना।
8. कुक्कुट विकास कार्यक्रम में उद्यमिता का विकास करना।
9. कृषि उत्पादन हेतु जैविक खाद की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

प्रक्रियात्मक रणनीति

समस्त विभागीय कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायें जाने हेतु बल दिया गया हैः –

1. पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानव संसाधन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
2. संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए सघन टीकाकरण का संचालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
3. पशुओं में अनुउर्वता निवारण शिविरों का आयोजन करना ।
4. कृत्रिम गर्भाधान के आच्छादन को बढ़ाया जाना।
5. कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों एवं कामर्शियल लेयर इकाईयों की स्थापना।
6. कुक्कुट उद्यमिता का विकास करना।
7. सूकर एवं भेड़, बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान करना।
8 स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

वर्ष 2023–24 हेतु प्राथमिकतायें

1. दुधारू पशुओं की तस्करी को रोकने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
2. अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किये जाने हेतु नगर निगम विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
3. फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर गोवंश संरक्षण की योजना।
4. प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना अन्तर्गत गाय व अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना।
5. कृषकों की आय को दोगुना किये जाने में पशुपालन की अहम भूमिका के दृष्टिगत सहयोग प्रदान करना।

6. विभिन्न कार्यक्रमों, यथा पशु प्रजनन पशुचिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
7. किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन की योजनाएँ तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
8. आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत 15.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना लक्षित था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2022–23 में कुल 977808 आवेदन पत्र एकत्रित किये गये, जिसमें मार्च 2023 तक 262945 किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को (पशुपालन घटक) दिये गये हैं।

विभागीय संस्थाएं

क्र0सं0	संस्था का नाम	वर्ष 2022–23 की वास्तविक स्थिति
1.	पशु चिकित्सालय	2239 (2202 क्रियाशील)
2.	पशु सेवा केन्द्र	2575
3.	द श्रेणी पशु औषधालय	267
4.	पालीक्लीनिक	24 (06 क्रियाशील)
5.	केन्द्रीय प्रयोगशाला	01
6.	मण्डलीय प्रयोगशाला	10
7.	जनपदीय प्रयोगशाला	65
8.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	5044
9.	तरल नत्रजन केन्द्र	02
10.	अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	03
11.	सघन भेड़ विकास प्रायोजना	01
12.	मेढ़ा केन्द्र	05
13.	भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र	180
14.	भेड़ प्रक्षेत्र	02
15.	राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	04
16.	भदावरी भैस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन	01
17.	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र	10
18.	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र	06
19.	सूकर रोग निदान प्रयोगशाला	01
20.	सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
21.	बतख प्रक्षेत्र	01
22.	बटेर प्रक्षेत्र	01
23.	कुक्कुट काम्प्लेक्स	08
24.	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला	01
25.	सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक लैब	02
26.	कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
27.	कुक्कुट प्रक्षेत्र	04 (01क्रियाशील)
28.	पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल यूनिट	02
29.	पशुशव उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का	01
30.	पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र	06
31.	बोवाइन स्टर्लिटी एवं इन्फर्टिलिटी नियंत्रण	09
31.	थनैला रोग नियंत्रण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
32.	टी0बी0ब्रूसेला एवं जोनाईन यूनिट, मुख्यालय	01
33.	आहार पारक्षण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
34.	इपिडिमियोलॉजी यूनिट, मुख्यालय	01
35.	कैनाईन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट	10
36.	पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ	01
37.	एन0ए0डी0सी0पी0 सेल	01

ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्य

पशुपालन विभाग अन्तर्गत विभाग में एक ई–गवर्नेन्स कक्ष कार्यरत है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट(**http://animalhusb.upsde.gov.in**) क्रियाशील है। जिसमें विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, संस्थाओं एवं विभिन्न योजनाओं आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है। वेबसाइट समय–समय पर अधुनान्त (अपडेट) की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम उपलब्ध है। विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त टेण्डर, टेण्डर फार्म, दर सूचियां विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध करायी गई हैं। विभाग के टेन्डर वेबसाइट से डाउनलोड कर भरे जा सकते हैं। बेवसाइट पर सभी पशुचिकित्सावदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित विवरण एवं वरिष्ठता सूची उपलब्ध है। न्यायालयों के वादों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये वादों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिससे वादों का अनुश्रवण प्रभावी हो गया है। 20वीं पशुगणना के ऑकडे भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये है। साथ ही वित्तीय स्वीकृतियॉ, बजट एवं आवंटन तथा अन्य विभागीय शासनादेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित समस्त कार्यो का संपादन आनलाइन किया जा रहा है।

वर्तमान में निदेशालय के प्रत्येक अनुभाग में कम्प्यूटर कार्यरत है। प्रदेश के 18 मण्डलीय कार्यालयों एवं जनपद मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर स्थापित एवं कार्यशील हैं। विभागीय सूचनाओं के त्वरित प्रेषण हेतु विभाग द्वारा अधिक से अधिक ई–मेल एवं बेवसाइट का प्रयोग किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य सभी प्रकार के देयकों का त्वरित एवं सुगमतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ई–पेमेन्ट प्रणाली लागू की गई है। बजट आवंटन प्रकिया को भी पूर्ण रुप से कम्पयूटरीकृत किया गया है तथा बजट आवंटन का कार्य आनलाइन किया जा रहा है।

विभाग के तीन कार्यक्रम निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल, मा0 मुख्यमन्त्री जी गोवंश सहभागिता योजना एवं वृहद गो संरक्षण केन्द्रो का निर्माण को आनलाइन कर मा0 मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड **दर्पण** से इनटीग्रेट किया गया है जिसका अनुश्रवण मा0 मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा किया जाता है।

गोआश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंशो के रियल टाइम अनुश्रवण, प्रबन्धन एवं डी0बी0टी0 के माध्यम से गोआश्रय स्थलों को भरण–पोषण की धनराशि हस्तान्तरित करने हेतु निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत गो–आश्रय पोर्टल एवं मोबाइल एप के द्वारा गोआश्रय स्थलों में गोआश्रय प्रबन्धन, आधारभूत संरचना प्रबन्धन एवं फन्ड प्रबन्धन का काय संपादित किया जा रहा है।

पशुपालन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति का कार्य स्मार्ट अटेन्डेन्स एप्लीकेशन एप के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। उपयोगकर्ता की अनुकूलता एवं सहजता को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन में जियोटैगिंग के साथ फिंगरप्रिन्ट एवं फोटो का विकल्प दिया गया है। कर्मचारी इस एप्लीकेशन का उपयोग फील्ड विजिट के दौरान भी अपनी उपस्थिति दर्ज करते है।

विभागीय अधिकारियो/कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्त विवरण मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन किया जा रहा है। जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 के अधीन विभाग की सेवा गोशालाओं के पंजीकरण को आनलाइन किया गया है, जिसके माध्यम से गोशालाओं का पंजीकरण जनसुविधा केन्द्रो के माध्यम से भी कराया जा सकता है। प्रदेश के पशुचिकित्सावदों का आनलाइन पंजीकरण एवं नवीनकरण उ0प्र0 पशुचिकित्सा परिषद द्वारा किया जा रहा है।

LHDCकार्यक्रम के अधीन ESVHD-MVU योजनान्तर्गत प्रदेश में 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट वाहन संचालित है। योजनान्तर्गत पशुसेवा केन्द्रो/पशुचिकित्सालयो से 02 किमी. की परिधि के बाहर दूरस्थ क्षेत्रो के पशुपालको को निर्धारित रूट वाहनो द्वारा नियमित पशु स्वास्थ्य शिविरो तथा गम्भीर बीमारियो की आकस्मिकता में टोलफ्री नं0 1962 भी जारी किया गया है। योजना की मानिटरिंग, फीड बैक एवं प्रगति संबंधित MIS के लिये निदेशालय मे एकीकृत कन्ट्रोल एवं कमान्ड सेन्टर स्थापित किया गया है।

प्रदेश के पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता परक निस्तारण हेतु मुख्यालय पर एक **पशुधन समस्या निवारण केन्द्र** की स्थापना की गई है, जो पशुपालकों के हित में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सप्ताह के सातो दिन कार्यरत हैं। उक्त केन्द्र पूर्णत या आनलाइन एवं आधुनिक सूचना तकनीक पर क्रियाशील है। इसके माध्यम से पशुपालकों की पशुधन संबंधी समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है जिसका टोल फ्री नम्बर 1800–180–5141 है।

राष्ट्रीय पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश के समस्त गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को इनाफ पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। पंजीकरण के पश्चात इनाफ पोर्टल पर पशु का इयर टैग नम्बर डालने मात्र से पशु, पशुमालिक, पशु में किये गये कृत्रिम गर्भाधान,टीकाकरण, चिकित्सा, पशु की नस्ल आदि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी । पशुपालको को उनके द्वार पर मोवाइल वेटनरी वाहन के माध्यम से त्वरित पशुचिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने हेतु काल सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

वित्तीय आवश्यकतायें

(तालिका–क)

क–कार्यक्रम का वर्गीकरण (धनराशि लाख रू0 में)

कार्यक्रम	वास्तविक आंकडें	आय–व्ययक अनुमान
	2022–23	2023–24
001–निदेशन तथा प्रशासन	85811.11	132452.79
101–पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य	12278.74	30042.13
102–पशु तथा भैंस विकास	56387.20	88416.12
103–कुक्कुट विकास	3027.39	3587.20
104–भेड़ तथा ऊन विकास	114.71	491.66
106–अन्य पशुधन विकास	6122.79	7323.33
107–चारा तथा चारागाह विकास	–	200.00
113–प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय	104.22	1070.60
800–अन्य व्यय	6775.70	7516.46
2013–मंत्रि परिषद	–	0.20
योग–मतदेय	170621.86	271100.49
भारित	1.15	13.79

कार्यक्रम	पुनरीक्षित अनुमान	आय–व्ययक अनुमान
	2023–24	2024–25
001–निदेशन तथा प्रशासन	100530.01	145537.93
101–पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य	29524.73	33773.63
102–पशु तथा भैंस विकास	102681.12	112871.28
103–कुक्कुट विकास	3228.20	3587.20
104–भेड़ तथा ऊन विकास	484.02	491.66
106–अन्य पशुधन विकास	6335.76	8111.54
107–चारा तथा चारागाह विकास	200.00	200.00
113–प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय	989.40	718.50
800–अन्य व्यय	5907.35	7973.78
2013– मंत्रि परिषद्	0.17	0.20
योग–मतदेय	249880.59	313265.52
भारित	11.72	13.79

(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण (तालिका ख) (धनराशि लाख रू0 में)

कार्यक्रम	वास्तविक आंकडें	आय–व्ययक अनुमान
	2022–23	2023–24
1–वेतन	62405.73	92614.08
2–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	3843.51	13488.54
3–महगाई भत्ता	22907.70	41676.33
4–यात्रा भत्ता	113.80	201.20
5–अन्य भत्ता	53.61	46.47
6–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	1.87	–
7–प्रासांगिक :– सामान्य	81295.64	123073.87
8–पूँजीगत परिव्यय	12078.75	26655.14
कुल योग	182700.61	297755.63
भारित	1.15	13.79
कार्यक्रम	**पुनरीक्षित अनुमान**	**आय–व्ययक अनुमान**
	2023–24	**2024–25**
1–वेतन	69460.56	95227.37
2–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	13488.63	18742.58
3–महगाई भत्ता	31257.26	52375.06
4–यात्रा भत्ता	201.20	202.92
5–अन्य भत्ता	46.47	46.47
6–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	–	–
7–प्रासांगिक :– सामान्य	135426.64	146671.32
8–पूँजीगत परिव्यय	25354.65	32847.22
कुल योग	275235.41	346112.94
भारित	11.72	13.79

(ग) वित्तीय साधनों का स्रोत (तालिका ग) (लाख रू0 में)

अनुदान संख्या / लेखाशीर्षक	वास्तविक आंकडें	आय–व्ययक अनुमान
	2022–23	2023–24
15–.2013–मंत्रि परिषद	–	0.20
15–2403–पशुपालन	170621.86	271100.49
15–4403–पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	12078.75	26655.14
कुल योग	182700.61	297755.63
भारित	1.15	13.79
अनुदान संख्या / लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय–व्ययक अनुमान
	2023–24	2024–25
15–2013 मंत्रि परिषद	0.17	0.20
15–2403 पशुपालन	249880.76	313265.72
15–.4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	25354.65	32874.22
कुल योग	275235.41	346112.94
भारित	11.72	13.79

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

1–निदेशन तथा प्रशासन

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक आंकडें	आय–व्ययक अनुमान
	2022–23	2023–24
निदेशन तथा प्रशासन	85811.11	132452.79
भारित	1.15	13.79

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय–व्ययक अनुमान
	2023–24	2024–25
निदेशन तथा प्रशासन	100530.01	145537.93
भारित	11.72	13.79

कार्यभार का सारांश, वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

विभागीय कार्यकलापों का संचालन/अनुश्रवण मण्डल स्तर पर अपर निदेशक ग्रेड–2 तथा जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रशासनिक कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

2–पशु चिकित्सा सेवाएंतथा पशु स्वास्थ्य वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग

धनराशि (रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक	वास्तविक आंकडें	आय–व्ययक अनुमान
	2022–23	2023–24
पशुचिकित्सा सेवाये तथा पशु स्वास्थ्य	12278.74	30042.13

लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय–व्ययक अनुमान
	2023–24	2024–25
पशुचिकित्सा सेवाये तथा पशु स्वास्थ्य	29524.73	33773.63

पशु विकास एवं पशु प्रजनन कार्यक्रम

परिचयात्मकः–

पशु विकास कार्यक्रम वस्तुतः मुख्य रूप से उन्नत प्रजनन पर आधारित है।

प्रदेश में पशु विकास का कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चलाया जा रहा हैः–

1– प्रदेश मे पशुप्रजनन नीति 2002 से क्रियान्वित है जिसे वर्ष 2018 में संशोधित कर प्रख्यापित किया गया है।

2– विभागीय केन्द्रों एवं पैरावेट्स/मैत्री के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाया जाना।

3– पशु प्रजनन के लिए आवश्यक अवयवों की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित कराना।

4– कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो का सुदृढीकरण कर पशुपालको के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराना।

5– प्रत्येक पशुचिकित्सालय के कार्य क्षेत्र मे बांझपन निवारण शिविरो का आयोजन कर बांझपन समस्या से ग्रस्त पशुओ का समुचित उपचार कर प्रजनन योग्य बनाना।

6– उच्च गुणवत्ता के जर्म प्लाज्म के उत्पादन के उद्देश्य से बुलमदर फार्म का प्रबंधन एवं संचालन कराना।

7– पशुओ मे परजीवी कृमिनाशक दवापान, मिनरल मिक्सचर, टीकाकरण कार्यकमो के संचालन से उत्पादकता को बढाया जाना।

8– ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन संबंधी स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना।

9– भ्रूण प्रत्यारोपण (एम0ओ0ई0टी0)/आई0वी0एफ0 कार्यक्रम

भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना भारत सरकार के राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2013 में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया, लखनऊ पर साहीवाल नस्ल के उच्च आनुवंशिकगुणवत्ता युक्त पशुओं के संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं विकास हेतु की गयी, जिसका स्थानान्तरणवर्ष 2014–15 में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, निबलेट, बाराबंकी में कर दिया गया तथा अब इसे भ्रूणप्रत्यारोपण प्रयोगशाला, चकगंजरिया, निबलेट, बाराबंकी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वाराआई0वी0एफ0 कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी, जिसके उपरान्त अक्टूबर 2020 से केन्द्र पर आई0वी0एफ0 (इनविट्रोफर्टिलाइजेशन) का कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

10– पशु प्रजनन हेतु 5043 विभागीय संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। स्वरोजगार के अंतर्गत प्रशिक्षित 6052 क्रियाशील पैरावेट्स के द्वारा भी कृत्रिम गर्भाधान सेवा पशुपालक के द्वार पर उपलब्धदकरायी जा रही है।

कृत्रिम गर्भाधान का वर्षवार लक्ष्य व उपलब्धि निम्नवत् है

(आंकडे लाख मे)

मद	2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23		2023–24
कृत्रिम गर्भाधान योजना	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य	उपलब्धि (Till Dec. 23)	लक्ष्य
	160.00	133.59	168.00	140.80	174.00	144.86	174.00	146.35	174.00	166.22	143.43

11– गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना (रा0यो0)

कृषि कार्य हेतु मशीनीकरण में वृद्धि एवं स्वदेशी गोवंश के नरवत्स का उपयोग अत्यन्त कम होने के कारण बेसहारा/निराश्रित नर गोवंश की संख्या लगतार बढ़ती जा रही रही है, जिससे कृषकों की फसलों का नुकसान हो रहा है। निराश्रित नर गोवंश एवं निम्न गुणवत्ता की मादा संतति को कम करने के उद्देश्य से अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़, हापुड़ में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उत्पादन की इकाई, **"गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना (रा0यो0)"** के अन्तर्गत स्थापित की गयी है। योजनान्तर्गत बाबूगढ़ स्थित प्रयोगशाला पर वर्गीकृत वीर्य उत्पादन किया जा रहा है। उक्त विधि से प्राप्त सीमेन स्ट्राज से कृत्रिम गर्भाधान उपरान्त लगभग 90% उच्च गुणवत्ता की मादा संतति प्राप्त की जा सकती है। योजनान्तर्गत वर्गीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य नवम्बर 2019 से प्रारम्भ हुआ।

उद्देश्यः–

1. उच्च गुणवत्तायुक्त स्वदेशी प्रजातियों के वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन व वितरण।
2. प्रदेश में बेसहारा/निराश्रित नरवत्सों की संख्या को नियंत्रित करना।

योजना का स्वरूपः–

1. योजना पूर्णतः नवीन तकनीकी पर आधारित है, जिसमें माइक्रोफ्लूडिक व लेजर तकनीक के माध्यम से वीर्य में उपस्थित एक्स और वाई क्रोमोसोमधारक शुक्राणुओं को चिन्हित किया जाता है। तत्पश्चात् लेजर विधि द्वारा वाई क्रोमोसोमधारक शुक्राणुओं को मृत कर दिया जाता है, जिससे वीर्य में मुख्यतः एक्स क्रोमोसोमधारक शुक्राणु ही जीवित रहते हैं।
2. योजना प्रदेश के समस्त (75) जनपदों में भारतीय गोवंश प्रजातियों के गोवंशीय पशुओं में ही सेक्स्ड सीमेन के प्रयोग द्वारा संचालित की जा रही है।
3. पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर अन्य जनपदों के पशुपालकों से सेक्स्ड सीमेन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान हेतु प्रति कृत्रिम गर्भाधान रू0 300.00 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में प्रति कृत्रिम गर्भाधान रू0 100.00 पशुपालकों से लिया जा रहा है। प्राप्त लेवी उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के माध्यम से कोषागार में जमा की जाती है।
4. दिनांक 01.04.2023 से समस्त जनपदो में लेवी 100/–प्रति गर्भाधान हेतु लिया जा रहा है।

गोवंशीय पशुओं में वर्गीकृत वीर्य (सेक्स्ड सीमेन) के उपयोग की योजना (रा0यो0) अन्तर्गत वर्षवार वर्गीकृत वीर्य उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	वर्ष	वर्गीकृत वीर्य उत्पादन हेतु वार्षिक लक्ष्य	वर्गीकृत वीर्य उत्पादन
1	2019-20	137500	137500
2	2020-21	341000	344490
3	2021-22	402000	402740
4	2022-23	402000	402120
5	2023-24	402000	301670

12–अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज का वर्षवार लक्ष्य व उत्पादन निम्नवत् है

आंकडे लाख मे

मद	2020–21		2021–22		2022–23		2023–24		2024–25
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2023)	अनुमानित लक्ष्य
अतिहिमीकृत स्टाज का उत्पादन	24.00	23.21	33.00	22.84	40.00	43.73	44.35	32.95	70.00

13– योजना का नाम : राष्ट्रीय गोकुल मिशन अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन बढ़ाने हेतु मैत्री (**MAITRI- Multipurpose AI Technician in Rural India**) की स्थापना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना)

प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में योजना संचालित की जा रही है।

उ0 प्र0 पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य अधिशासी अधिकारी है। जनपद में मैत्री का चयन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षित मैत्री की संख्या	स्थापित मैत्री की संख्या
2021-22	1250	1182	1182
2022-23	2000	1731	1731
2023-24	2500	592	0
योग	3750	2650	2650

नवचयनित मैत्री का प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा चिन्हित/अभिप्रमाणित प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। 55 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण निकटम राजकीय पशुचिकित्सालय (जहाँ से अभ्यर्थी का चयन किया गया है) पर सम्पादित कराया जाता है। इसके पश्चात् पाँच दिवसीय मूल्यांकन पुनः प्रशिक्षण संस्थान पर कराया जाता है। प्रशिक्षणोपरान्त मैत्री को कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु उपकरण {ए.आई. किट, कास्ट्रेटर, बायोलॉजिकल क्रायोकन्टेनर–3 ली0, बायोलॉजिकल क्रायोकन्टेनर–35 (05 मैत्री हेतु 01) व 55 ली0 (05 मैत्री हेतु 01)} उपलब्ध करा कर स्थापित किया जाता है, जिसके पश्चात् प्रशिक्षित मैत्री द्वारा स्वरोजगार के रूप में कृत्रिम गर्भाधान संबंधी कार्य सम्पादित किया जाता है।

14–**जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना**

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना'' नेशनल लाईवस्टाक मिशन अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित है।

योजनान्तर्गत स्वदेशी/संकर दुधारू पशु, भारवाहक पशु (घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट, टट्टू एवं नर भैसा/सांड़) एवं अन्य पशु (बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि) आच्छादित है। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ समस्त पशुओं (भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश को छोड़कर) हेतु 05 पशु प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश के लिये 01 पशु इकाई को 10 भेड़/बकरी/सूकर/खरगोश के बराबर माना जायेगा। सब्सिडी का लाभ 05 पशु इकाई प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। यदि लाभार्थी के पास 05 से कम पशु/01 पशु इकाई है तो भी उसे सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा। जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना जी.एस.टी. से मुक्त है।

क्षेत्रवार एवं वर्गवार लाभार्थी हेतु केन्द्र, राज्य एवं पशुपालक का अंश :–

क्षेत्र	वर्गवार केन्द्र/राज्य/पशुपालक का अंश (प्रतिशत में)					
	ए0पी0एल0 वर्ग			बी0पी0एल0 वर्ग/(एस.सी./एस.टी.)		
	केन्द्रीय	राज्य	पशुपालक	केन्द्रीय	राज्य	पशुपालक
सामान्य क्षेत्र	25	50	25	40	50	10

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना :

इंश्योरेंस कंपनियॉ एवं उनकी प्रीमियम दर

क्र0 सं0	वर्ष	इंश्योरेंस कंपनी का नाम	प्रीमियम दर (PTD रहित):			प्रीमियम दर (PTD सहित):		
			एक वर्ष के लिये	दो वर्ष के लिये	तीन वर्ष के लिये	एक वर्ष के लिये	दो वर्ष के लिये	तीन वर्ष के लिये
1	2017–18	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं0 लि0	2.32	-	6.98	2.98	-	7.36
2	2018–19	नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0	2.25	-	6.13	2.80	-	7.20
3	2019–20							
4	2020–21							
5	2021–22		2.88	-	6.83	2.97	-	7.20
6	2022–23							
7	2023–24	दि न्यू इण्डिया एंश्योरेंस कं0 लि0	2.99	4.53	7.02	3.11	4.62	7.40

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना का वर्षवार लक्ष्य व उत्पादन निम्नवत् हैः–

योजना का नाम	2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23		2023–24	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	
जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना	105600	74726	41800	50828	116255	106799	14529	14991	135426	96686	7300	0

वर्तमान वित्तीय वर्ष में वार्षिक लक्ष्य 173300 निर्धारित किया गया है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर 173300 का लक्ष्य जनपदों को आवंटित किया गया हैं, जिसके सापेक्ष माह सितम्बर 23 से दिसम्बर, 2023 तक 34320 पशुधन बीमा की प्रगति प्राप्त हुई।

15–बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत चालू परियोजनाओं की भौतिक प्रगति–

क्र	योजना का नाम	भौतिक प्रगति
1	बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना	9889 लाभार्थियो का चयन
2	बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे स्थापित 120 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो का विस्तारीकरण एवं 52 नवीन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो की स्थापना एवं कियाशील किये जाने की योजना।	426495 कृत्रिम गर्भाधान
3	बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे पशुधन विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरो को बढाने के लिए महिलाओ की जागरूकता और क्षमता वृद्वि।	1250लाभार्थियो का प्रशिक्षण

16–प्रदेश में पशु प्रजनन नीति

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के 50–70/. (प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिए विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त कराया जाना प्रस्तावित है इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत् नस्ल के सांडों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित हैं।

1– दुग्ध विकास हेतु प्रदेश के गोंवंश को विदेशी नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधानकराकर संकर नस्ल तैयार कर दुग्ध की मात्रा बढाने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए बुन्देलखण्ड

मिर्जापुर मण्डल हेतु जर्सी व जर्सी क्रास तथा अन्य क्षेत्रों हेतुहोलिस्ट्रीन फ्रीजियन व इनका क्रास अनुमोदित है।

2– विशुद्व भारतीय मूल के संरक्षण व संवर्द्वन हेतु इसके उत्वर्गीकरण के लिए शुद्व भारतीय नस्ल के सांडों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।

3– संकर संतति में विदेशी प्रजाति के रक्त को 62.5 प्रतिशत तक रखे जाने हेतु संकर मादा संतति (एफ–1) को 50 से 62.5 प्रतिशत विदेशी रक्त के अतिहिमीकृत वीर्य से संकरणकराया जायेगा।

4– महिषवंश के उत्वर्गीकरण हेतु मुर्रा व भदावरी नस्ल के सांडों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधानकिया जा रहा है।

5– राज्य सरकार के सहयोग से अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र बाबूगढ–हापुड मे विदेशी संस्था ए0बी0एस0 ग्लोबल के सहयोग से सेक्सड सीमन उत्पादन इकाई की स्थापना की गयी है जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष 3.30 लाख उच्च गुणवत्ता के सॉडों के वीर्य से तैयार वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश मे इस संस्था द्वारा नवम्बर 2019 से उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत वीर्य उत्पादन को बढाने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त इकाई हेतु धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

2023–24 रहमानखेडापशुप्रजनन कार्य मे सहयोग के लिये निम्नवत सॉडो को रखा गया है:–

(2023–2024)

क0सं0	मद	बाबूगढ	रहमानखेडा	मंझरा
1	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर सॉडो की संख्या	191	156	66

<u>पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू योजनाऐं:–</u>

1– गाय/भैसों में कृत्रिम गर्भाधान तथा पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि.यो.)
2– गाय/भैंसो मे पशु अनुर्वरता एवं बांझपन की योजना (राज्य योजना)
3– कृत्रिम गर्भाधान की योजना (रा0यो0)
4– अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की योजना।
5– पंडित दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेले/शिविर (मण्डल स्तर)/(विकास खण्ड स्तर)
6– जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.25/रा.50/ला.25–के.+रा.)
7– गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सार्टेड सीमेन की योजना

<u>नवाचार योजनाएँ:–</u>

1– अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र,रहमानखेडा लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सैक्स्ड/सार्टेड सीमैन के उपयोग की योजन।
2– प्रक्षेत्र एवं डी0फ0एस0 केन्द्रो पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना(रा0यो0)

<u>4– उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा परिषद</u>

परफारमेन्स बजट

धनराशि(रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय–व्ययक अनुमान
उ0प्र0 वेटरिनरी काउन्सिल	2022–23	2023–24
	55.18	96.44
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित आँकड़े	आय–व्ययक अनुमान
	2023–24	2024–25
उ0प्र0 वेटरिनरी काउन्सिल	75.96	104.69

प्रदेश में पशुचिकित्सा व्यवसाय को नियमित करने तथा पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा स्नातक पशुचिकित्साविदों द्वारा उपलब्ध कराने तथा उन्हें पशुचिकित्सा की आधुनिक पद्धति की जानकारी देने के ध्येय से भारत सरकार द्वारा पारित भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम–1984 उत्तर प्रदेश द्वारा अंगीकृत किये जाने के पश्चात् इसके अधीन भारत सरकार से उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा परिषद कार्यालय की स्थापना की गई। कार्यालय की स्थापना के उपरान्त से सरकारी तथा गैर सरकारी पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। परिषद की स्थापना की तिथि 30.06.1993 से दिनांक **17.07.2023** तक किये गये पंजीकरण, नवीनीकरण प्रमाणपत्र तथा निरस्तीकरण की स्थिति निम्नवत् है :–

1. पंजीकरण – 7868
2. नवीनीकरण – 14026
3. निरस्तीकरण – 618

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, पूर्ण व सही पाये जाने पर उनका शत–प्रतिशत पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाता है। B.V.Sc&A.H कोर्स की समाप्ति पर जितने भी आवेदन पत्र प्रोविजनल प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त होते हैं, सही पाये जाने पर शत–प्रतिशत अस्थाई प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का लक्ष्य है।

पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

परिचयात्मकः–

कृषि के साथ–साथ पशुपालन का कार्य ग्रामीण परिवेश में एक सामान्य प्रक्रिया है, परन्तु प्रति व्यक्ति कम कृषि जोत भूमि होने के कारण गावों में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उन्नति हेतु पशुपालन एक प्रमुख साधन है। विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में **पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य** एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पशुओं को पूर्णतः स्वस्थ रखने एवं गुणवत्तायुक्त पशुजन्य उत्पादों की निरन्तर आवश्यकता अपरिहार्य होने के कारण पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य का महत्व स्वतः बढ़ गया है।

उद्देश्यः–

1– प्रदेश के पशुओं को चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना ।

2– पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्य निष्पादित करना ।

3– अनियन्त्रित पशु प्रजनन को रोकने तथा कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिये जाने हेतु अवर्णित व अनुपयोगी नर पशुओं का बधियाकरण करना ।

4– प्रदेश में स्थापित पशुचिकित्सा पाली क्लीनिक के माध्यम् से गुणवत्तायुक्त विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराना।

5– जनपद में स्थापित रोग निदान प्रयोगशालाओं के माध्यम् से पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जॉच, पैथालोजी की सुविधा उपलब्ध कराना।

6– पशुओं से मानव में फैलने वाली रैबीज जैसी जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण करना।

7– प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर सर्वे का कार्य किया जाना।

8-- "रिण्डरपेस्ट" जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं बिलेज सर्च का कार्य करना।

9– पशुरोग नियंत्रण की योजना (60 प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्ता के विभिन्न रोगों पर नियंत्रण किया जाना।

10– स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी बीमारियों पर नियंत्रण करना।

11– रोगों के रोकथाम हेतु प्रमुख वैक्सीनों का उत्पादन, जैविक औषधि उत्पादन संस्थान द्वारा,किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

12– भारत सरकार द्वारा वित्त–पोषित(अनावर्ती–100 प्रतिशत एवं आवर्ती–60 प्रतिशत) ई0एस0वी0 एच0डी0 योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 प्रदेश में 520–मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट की स्थापना कर पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

13– प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज (एल.एस.डी.) बीमारी की रोक–थाम एवं नियन्त्रण हेतु व्यापक कार्यवाही की जा रही है। जिसके सापेक्ष बीमारी की रोक–थाम में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहें हे।

14– बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाये इसके अर्न्तगत वुन्देलखण्ड के समस्त विकासखण्डीय पशुचिकित्सालयों पर 47 सचल वाहन उपलब्ध कराये गये है। इन वाहनों के माध्यम से पशुपालको के द्वार पर पशुचिकित्सा एवं पशु विकास सम्बन्धी विविध सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

कार्यों का विवरण एवं निर्वहन

1– पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथामः–

(अ) पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 267 ''द'' श्रेणी पशु औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही वर्तमान में 31–नवीन पशुचिकित्सालयों की स्थापना अन्तर्गत 14 पशुचिकित्सालय मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत बनकर तैयार पशुचिकित्सालयों को हस्तगत करा दिया गया हैं। उक्त के अतिरिक्त 5– नवीन स्वीकृत पशु चिकित्सालय वर्तमान में निर्माणाधीन है। पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत–प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण आदि सुविधायें पशुपालकों को उपलब्ध कराने हेतु 825–सचल ईकाईयां भी क्रियाशील हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5,000 पशुओं पर एक पशुचिकित्सालय की स्थापना की जानी थी, परन्तु सीमित संसाधन एवं धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष 06 आवासीय पशु चिकित्सालयों के निमार्ण हेतु अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है, जिसके सापेक्ष निमार्ण हेतु संबंधित जनपदों को धनराशि आवंटित कर दी गयी है। साथ ही 05नवीन पशु चिकित्सालय एवं 01 आवासीय पशु चिकित्सालयों के स्थापना की कार्यवाही की गई। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 10–नवीन पशुचिकित्सालयों के स्थापना का प्रस्ताव है।

(ब) पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण(पशु चिकित्सालयो का पुनरोद्धार तथा अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था)–75 प्रतिशत सम्प्रति 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में चिन्हित जनपदों के अनुमोदित 150–तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य 81–तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण। वित्तीयवर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत अन्य 50–पशु चिकित्सालयों पर भी निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार में वित्तीय वर्ष 2018–19 में पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत 37–पशु चिकित्सालयों पर निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त उपकरणों से व्यवस्थित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा वित्त–पोषित(अनावर्ती–100 प्रतिशत एवं आवर्ती–60 प्रतिशत) ई0एस0वी0एच0डी0 योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रदेश में 520–मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट की स्थापना कर पशुपालकों के द्वार पर हाईब्रिड मोड (आकस्मिक एवं शेड्यूल्ड रूट) के द्वारा पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त कार्य हेतु प्रदेश को पांच पैकेज में विभक्त कर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2–पॉलीक्लीनिक की स्थापना :–

वर्तमान में विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पॉच पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक क्रमशः गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत–बागपत तथा सैफई–इटावा में कार्यरत है, जिनके माध्यम से रेडियोंलाजिस्ट, सर्जन एवं गायनाकोलाजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवाएं (विषय विशेषज्ञों द्वारा) आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2014–15 में जनपद–बस्ती में स्वीकृत नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक, बस्ती की स्थापना अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदेश के अन्य 15–मण्डलीय जनपदों के मुख्यालय पर नाबार्ड द्वारा वित–पोषित योजना–ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.)अन्तर्गत एक–एक नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की कार्य–योजना अनुमोदित है। उक्त के सापेक्ष 08–पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों (आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट धाम–बांदा, अयोध्या,आजमगढ़, वाराणसी, झॉसी) का वित्तीय वर्ष 2016–17 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष 08 पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों का निर्माण कार्यपूर्ण एवं साथ ही वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवशेष 07–पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों (प्रयागराज,भदोही–मिर्जापुर,कानपुर, देवीपाटन–गोण्डा,सहारनपुर,गौतमबुद्धनगर– मेरठ, बरेली) के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 02 पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों का निर्माण कार्यपूर्ण एवं 05 प0चि0 पालीक्लीनिक का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में ग्रामसभा–मदावली, विकासखण्ड व तहसील–टूण्डला, जनपद–फिरोजाबाद में नवीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद–मथुरा में एक नवीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत की गई है। जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद– बरेली (ऑवला) में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। साथ ही वर्ष 2024–25 में जनपद मेरठ, शाहजहॉपुर में एक–एक नवीन पशु चिकित्सा पाली क्लीनिक की स्थापना का प्रस्ताव है।

3–**रोग निदान तथा बीमारियों की खोजः–**

उक्त कार्य हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला निदेशालय पर तथा 10 मंडलीय प्रयोगशालायें मंडलों पर कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पशुरोगों की जाचॅ एवं डायग्नोसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2004–05 में मण्डलीय प्रयोगशाला वाराणसी एवं अयोध्या, वर्ष 2005–06 में बरेली, मुरादाबाद तथा वर्ष 2006–07 में प्रयागराज एवं आगरा तथा वर्ष 2007–08 में मेरठ में प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ीकरण किया गया है। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2009–10 तक झांसी व कानपुर प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2010–11 में अलीगढ़ में स्थापित स्वाइन फीवर प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्त–पोषण से प्रदेश के अन्य 65–जनपदों के मुख्यालय पर एक–एक नवीन रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

4– पशुरोगों के नियंत्रण का कार्यक्रमः–

(1) पशुपालन विभाग द्वारा आलोच्य 2017–18 से पशुओं के रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रोग निरोधकटीकाकरण का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है।

(2) पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता–एस्कैड–60–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्ययोपरान्त अवशेष केन्द्रांश का वर्ष 2017–18 में रिवैलीडेशन की धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के समस्त 75–जनपदों में एच.एस. रोग निरोधक टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित एच.एस. टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम् से प्रदेश में सम्प्रति एच0एस0 टीकाकरण कार्यकम निरन्तर चलाया जा रहा है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता–एस्कैड–योजनान्तर्गत पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा हेतु पशुपालकों को जागरूक करने हेतु विविध कार्यक्रम एवं पशुचिकित्साविदों व पैरावेटेनरी कार्मिकों को समय–समय पर आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य भी किया जाता हैं।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता(एस्कैड)–योजना अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, कुत्तों के काटने से पशुओं में होने वाले रैबीज रोग की रोकथाम हेतु रैबीज रोग निरोधक टीकाकरण एवं पशुओं को अन्तः परजीवी से सुरक्षित रखने हेतु अभियान के रूप में दवापान की व्यवस्था किये जाने के लिये इण्डो–पैरासिटिक कण्ट्रोल कार्यक्रम नामक दो नवीन कार्यक्रमों का प्रदेश के समस्त जनपदों में सतत् कियान्वयन किया जा रहा है।

(3) वित्तीय वर्ष 2017–18 में समस्त 75–जनपदों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पी0पी0आर0 टीकाकरण एक पृथक कार्यक्रम–पी0पी0आर0–सी.पी.(60प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत किया जा रहा है।अब भारत सरकार द्वारा अव यह कार्यक्रम पी.पी.आर. (ई.पी.) के तहत संचालित कराया जा रहा है।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित पी0पी0आर0 टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम् से प्रदेश में सम्प्रति पी0पी0आर0 टीकाकरण कार्यकम चलाया जा रहा है।

(4) वित्तीय वर्ष 2003–04 से वर्ष 2013–14 तक खुरपका–मुॅहपका, रोग नियंत्रण कार्यक्रम 17–जनपदों सम्प्रति 20–जनपदों में कुल 15–चरणों का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना मेंखुरपका–मुॅहपका रोग–नियंत्रण कार्यकम (एफ.एम.डी.-सी.पी.) का विस्तारीकरण के समक्षवर्ष2014–15 में प्रश्नगत कार्यक्रम का प्रदेश के समस्त 75–जनपदों को आच्छादितकर 16वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी.–टीकाकरण अभियान का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 25वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी.–टीकाकरण अभियान दिनांक 07अक्टूबर,2019 से चलाया गया है। उक्त अभियान के पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्तराल पर आगामी चरणों में एफ.एम.डी.–टीकाकरण का नियमित अभियान राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.डी.सी.पी.) अन्तर्गत चलाया जाना प्रस्तावित है। एफ. एम.डी. टीकाकरण अभियान (एन.ए.डी.सी.पी. अन्तर्गत) चलाया जा रहा है।

(5) पशुरोग महामारी की निगरानी तथा उसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1996–97 से अब तक 153 बीमारियों का सर्वे प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर रोग का सर्वे किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की नेशनल एनीमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम(100प्रतिशत के0पो0)–योजना के माध्यम् से चलाया जा रहा है।

(6) राष्ट्रीय महत्ता के कुछ प्रमुख बीमारियों जैसे टी0बी0, ब्रूसैल्ला, पुलोरम डिजीज, स्वाइन फीवर, रैबीज एवं बोवाईन स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी एवं एबार्शन रोगों का नियंत्रण किया जाता है। उक्त रोग के नियंत्रण हेतु प्रदेश में निदेशालय स्तर पर कुक्कुट रोग नियंत्रण प्रयोगाशाला तथा टी0बी0 ब्रूसैल्ला यूनिट स्थापित है। वर्तमान

समय में 9 स्टर्लिटी इन्फर्टिलिटी एंव 10 कैनाईन रैबीज यूनिट एवं 2 पुलोरम डिजीज यूनिट, एक सूकर रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित हैं।

(7) पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत नेशनल कण्ट्रोल प्रोग्राम ऑन ब्रुसैल्लोसिस(एन.सी.पी.बी.)–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय पोषण से प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा पशुओं में गर्भाधान होने के उपरान्त होने वाले संक्रामक गर्भपात(ब्रुसेल्लोसिस) को नियंत्रित करने हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाने की कार्य योजना वर्तमान में अनुमोदित हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित ब्रुसैल्लोसिस टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम् से प्रदेश में सम्प्रति ब्रुसैल्लोसिस टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2019.20 से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.डी.सी.पी.) के अन्तर्गत ब्रुसैल्लोसिस टीकाकरण अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

5– नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिण्डरपेस्ट सर्विलांस एण्ड मानीटरिंग (एन.पी.आर.एस.एम.)

यह 100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पोकनी रोग से मुक्त घोषित किया गया है । परन्तु पूरे प्रदेश में ''रिण्डरपेस्ट'' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं बिलेज सर्च का कार्य किया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत रोग से ग्रस्त सम्भावित पशुओं को डे–बुक रजिस्टर में अंकित करना तथा पशुओं पर व्यापक निगरानी रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आर0 पी0 रोग वर्तमान समय में नही है, परन्तु यह रोग वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक रोग है, जिसके संचारित होने की सदैव सम्भावना बनी रहती है, इसलिये इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु निरन्तर निगरानी आवश्यक है।

प्रक्रियात्मक रणनीति

पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लायें जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया है:–

1–रोग नियंत्रण सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को चिन्हित कर वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक लक्ष्यों को निर्धारित कर तदानुसार समीक्षा, मूल्याँकन तथा कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु त्वरित प्रभावी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई है ।

2–पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी तथा पशुओ में रोगों के रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों को पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन प्रचार–प्रसार को और सुदृढ़ किया जा रहा है ।

कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति लगातार घटती जा रही है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित है। कृषि उपज में वृद्धि लाने, भूमि की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने एवं पौष्टिक खाद्यान्न पैदा करने हेतु पशुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुपालन से जैविक खाद की उपलब्धता इसके उपयोग से कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा पशुओं से प्रचुर मात्रा में दुग्ध तथा दुग्ध–पदार्थों की उपलब्धता भी होगी। विभाग द्वारा जनमानस में प्रचार–प्रसार, कृषकों एवं पशुपालकों को सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान रणनीति के साथ–साथ समय की मांग/क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप योजनाओं को तैयार करने हेतु रणनीति भी तैयार की जा रही है।

पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य/पूर्ति का विवरण

संख्या (लाख में)

कार्यक्रम	2021–22		2022–23	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	1660.24	583.47	1660.24	1090.50
चिकित्सा	353.13	439.29	353.13	456.86

कार्यक्रम	2023–24		2024–25	
	लक्ष्य	पूर्ति (माह–नवम्बर,2023 तक)	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	1705.60	720.31	लक्ष्यनिर्धारण की कार्यवाही क्रमित	
चिकित्सा	353.13	291.41		

कुक्कुट विकास

सारांश वित्तीय

आवश्यकताओं का औचित्य कुक्कुट विकास कार्यक्रम

(धनराशि रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक	वास्तविकव्यय	आय–व्ययक अनुमान
	2022–23	2023–24
कुक्कुटविकास	3027.39	3587.20
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षितअनुमान	आय–व्ययक अनुमान
	2023–24	2024–25
कुक्कुट विकास	3228.20	3587.20

परिचयात्मक/उद्देश्य

1. पोषण सुरक्षा (NutritionSecurity)को सुनिश्चित करना।
2. प्रदेश में जन मानस को प्रोटीनयुक्त आहार एवं अण्डे की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. प्रदेश मेंजनमानस के लिए कुक्कुट गांस की उपलब्धता मांग के अनुसार सुनिश्चित करना।
4. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को उन्नतशील कुक्कुट पालन की प्रारम्भिक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराना।
5. कुक्कुट को अपनी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के छोटे/बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना।
6. कुक्कुट पालकों के पक्षियों में रोगों का सामान्य निदान तथा कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न संक्राम करोगों से बचाव हेतुचिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना।
7. पशु/पक्षी के आहार की गुणवत्ता हेतु विभिन्न आहारों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
8. बैकयार्ड कुक्कुट पालन हेत चूजे तैयार करना।
9. कुक्कुट विकास कार्यक्रम में उद्यमिता का विकास करना।
10. कृषि उत्पादन हेतु जैविक खाद की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

उत्पादनस्तर

1. अखिल भारतीय चिकित्सापरिषद्(ICMR) की संस्तुति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 182 अण्डा तथा 10.50कि0ग्रा0कुक्कुट मांस मिलना चाहिए।
2. राष्ट्रीय स्तरपर 101 अण्डे प्रतिव्यक्ति तथा 7.10 कि0ग्रा0 मांस प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष की उपलब्धताहै।
3. उ0प्र0में 20 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तथा 5.11 कि0ग्रा0 मांस की उपलब्धताहै।
4. प्रदेश में अण्डा तथा कुक्कुट मांस के कुल उत्पादन के लगभग70प्रतिशत निजी क्षेत्र में कार्यरत आर्गनाइज्डसेक्टर के कुक्कुट प्रक्षेत्रों से तथा30प्रतिशत बैकयार्ड क्षेत्र में कुक्कुट पालन से होताहै।
5. इस प्रकार प्रदेश के उक्त दोनों क्षेत्रों में विकास की असीम सम्भावनायें हैं।

वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं:–

1. उ0प्र0कुक्कुट विकास नीति–2022 अन्तर्गत 10000 पक्षी क्षमता, 30000 पक्षी क्षमता एवं 60000 पक्षी के कामर्शियल लेयर फार्म तथा 10000 पक्षी क्षमता के ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना।
3. 30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण, महानगर प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
4. आहार परीक्षण प्रयोगशाला
5. कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला
6. बैकयार्ड कुक्कुट विकासकार्यक्रम (रा0यो0/एस0सी0पी0/समाजकल्याणविभाग से वित्तपोषित) –राज्य योजना।

01. उ0प्र0कुक्कुट विकास नीति–2013

कामर्शियल लेयर एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना(राज्य योजना)

विभागान्तर्गत संचालित उ0प्र0कुक्कुट विकास नीति–2013 की पूर्व निर्धारित समय–सीमा दिनांक 31 मार्च–2022को समाप्त हो गयी है। योजनाअन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2021–22 हेतु कामर्शियल लेयर इकाई के निर्धारित लक्ष्य 213 लाख (प्रथम चरणमें123 लाख + 90 लाख द्वितीय चरणमें) पक्षियों के सापेक्ष 145.60 लाख कामर्शियल लेयर पक्षियों के फार्म स्थापित किये गये हैं।

योजना प्रारम्भ से वर्तमानतक 30000 कामर्शियल लेयर की 400 इकाईयॉ तथा 10000 कामर्शियल लेयर की 365 इकाईयॉ स्थापित की जा चुकी हैं।

योजनान्तर्गत प्रदेश में औसतन 130लाख अण्डे प्रतिदिन उत्पादित हो रहे है एवं 101680 (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)लोगों को स्वरोजगार सृजन हुआ है तथा योजनान्तर्गत में रू0 1112.79करोड़ का निवेश हुआ है।

योजनान्तर्गत वर्तमान में ब्रायलर पैरेन्ट की 45 इकाईयॉ स्थापित की जा चुकी है, जिसके क्रम में औसतन 48.45 लाख चूजे प्रतिमाह उत्पादित हो रहे हैं।

उपलब्धियॉ

- कुक्कुट विकास नीति के तहत 30000 एवं 10000 पक्षी क्षमता की कामर्शियल लेयर्स फार्म की क्रमशः 400 इकाईयॉ एवं 365 इकाईयॉ स्थापित है।
- ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की (10000 पक्षी क्षमता की) 45 इकाई स्थापित की गयी है जिसमें 44 इकाई कियाशील है, जिन से वित्तीय वर्ष 2023–24 में 322.16 लाख एक दिवसीय चूजें उत्पादित हुए है।
- प्रदेश में कुक्कुट विकास नीति 2013 अन्तर्गत अद्यतन प्रदेश में 1112.79 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत स्थापित इकाईयों से औसतन 130लाख अण्डे प्रतिदिन उत्पादित हो रहे है तथा 101680व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।

02. उ0प्र0कुक्कुट विकास नीति–2022

शासनादेश संख्या–2254/सैतीस–2–2022–1(45)/2012टीसी–(ए)क0सं0–1659381, दिनांक 07 नवम्बर, 2022 द्वारा उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 प्रख्यापित की गयी है, जिसके कार्यकारी आदेश शासनादेश संख्या–2505/सैंतीस–2–2022–1(45)/12टीसी दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 द्वारा निर्गत किये गये हैं। उक्त नीति अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं:–

1. योजना का नामः 10000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

प्रति इकाई लागत	99.53 लाख
(i)बैंकऋण 70%	69.67 लाख
(ii)मार्जिनमनी 30%	29.85 लाख
रोजगारसृजन	20 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमीको एक वर्ष की शुद्ध आय(अनुमानित)	रू0 22.40 लाख औसत (ब्याज प्रति पूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षेतक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो)पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रू0 14.61 लाख
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

2. योजना का नामः 30000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

प्रति इकाई पर कुल व्यय	256.69 लाख
(i)बैंकऋण 70%	179.69 लाख
(ii)मार्जिन मनी 30%	77.00 लाख
रोजगार सृजन	60 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमीको एक वर्ष की शुद्ध आय(अनुमानित)	रू0 74.13 लाख औसत (ब्याज प्रति पूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रू0 37.71 लाख
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

3. योजना का नामः 60000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर फार्म इकाई

प्रति इकाई लागत	491.90 लाख
(i)बैंक ऋण 70%	344.33 लाख
(ii)मार्जिन मनी 30%	147.57 लाख
रोजगार सृजन	120 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमी को एक वर्ष की शुद्ध आय(अनुमानित)	रू0 159.06 लाख औसत (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर(इन में से जोभी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रू0 72.30 लाख
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

4. योजना का नामः 10000 पक्षी क्षमता ब्रायलर पैरेन्ट फार्म इकाई

प्रति इकाई लागत	रू0 289.07 लाख
(i)बैंक ऋण 70%	रू0 202.34 लाख
(ii)मार्जिन मनी 30%	रू0 86.72 लाख
रोजगार सृजन	1500 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमीको एक वर्ष की शुद्ध आय(अनुमानित)	रू0 97.93 लाख औसत (ब्याज प्रति पूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रू0 42.47 लाख अधिकतम
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

योजनान्तर्गत–अनुमन्य लाभ

1–व्याज प्रतिपूति :–योजना लागत के 70% के सापेक्ष लिए गये बैक ऋण पर 7% की प्रतिपूर्ति उद्यमी को विभाग द्वारा 05 वर्षो तक की जायेगी।

2–विद्युत शुल्कः–

योजना अन्तर्गत स्थापित कुक्कट इकाइयों के विद्युत बिल में 10 वर्षो तक इलेक्ट्री सिटी ड्यूटी की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति पशुधन विभाग के बजट से की जायेगी।

3–स्टाम्प शुल्कः–

नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी। इस हेतु बैंक गारन्टी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा। इस निमित्त पशुधन विभाग की सहमति से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया है।

योजना की पात्रताः–

योजना लाभार्थी को प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। योजना में प्रथम बार आवेदन करने वाले लाभार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु ऐसे लाभार्थी जो उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 के अन्तर्गत मार्च 2013 से मार्च 2022 के मध्य लाभान्वित हुए है, वह इस योजना के पात्र इस शर्त के अधीन होगें यदि उनके द्वारा योजना अवधि में कुल 30,000 पक्षी क्षमता की लेयर इकाई/इकाईयां अथवा 10,000 हजार क्षमता की ब्रायलर इकाई से अधिक का योजनान्तर्गत लाभ नही लिया गया है।वर्तमान नीति के अन्तर्गत लाभार्थी/कृषक/उद्यमी को एक इकाई ही अधिकतम
अनुमन्य होगी और अधिकतम एक परियोजना में ही लाभान्वित किया जायेगा।

10 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 01 एकड़, 30 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 2. 5 एकड़, 60 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 4 एकड़ एवं 10 हजार ब्रालयर पैरेन्ट इकाईके लिए 4 एकड़ भूमिलाभार्थी के स्वामित्व में अथवा लीज पर होना अनिवार्य है।

03. कुक्कुटप्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना

वर्तमान में कार्यरत 04 कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा एक बटेर प्रक्षेत्र पर निम्नवत पक्षियों को रखे जाने की क्षमता हैः–

क्र0सं0	प्रक्षेत्र का नाम	क्षमता
1.	राजकीय कुक्कुटप्रक्षेत्र, बाबूगढ़–हापुड (अक्रियाशील)	3000
2.	चकगंजरिया–निबलेट बाराबंकी	3000
3.	भोजीपुरा–बरेली (अक्रियाशील)	2000
4.	भरारी–झॉसी (अक्रियाशील)	2000
	कुल 04 प्रक्षेत्र	**10000 पक्षियों की कुल संख्या**

नोटः– वर्तमान में राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, हापुड़, बरेली, झॉसी अकियाशील है।

राजकीय बटेर प्रजनन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया स्थित निबलेट–बाराबंकी – 500

कुल 10500

04. 30–दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण

प्रदेश में महानगर–लखनऊ प्रक्षेत्र पर एक कुक्कुट पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। इसके अन्तर्गत सेवा कालीन पशुधन प्रसार अधिकारियों तथा निजी क्षेत्र के कुक्कुट पालकों को कुक्कुट प्रशिक्षण दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र महानगर (चकगंजरिया) लखनऊ पर विभागीय प्रशिक्षण हेतु 30–30 दिवस के कुल 08 बैच बनाये गये है। जिसमें मण्डल/जनपद स्तर से प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर सयुंक्त निदेशक राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र महानगर (चकगंजरिया) लखनऊ को प्रेषित किया जाता है। वर्तमान में सितम्बर 2023 तक 52 प्रशिक्षणर्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसका प्रमाण पत्र निदेशालय द्वारा निर्गत किया जाता है।

05. आहार परीक्षण प्रयोगशाला

कुक्कुटपालन में कुक्कुट आहार की गुणवत्ता का विशेष महत्व है।आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लखनऊ में निदेशालय परिसर में एक आहार परीक्षण प्रयोगशाला आयोजनेत्तर मद में कार्यरत है, जहॉ पर आहार में नमी, क्रूडप्रोटीन, ईथर एक्सट्रेक्टटोटल एरा, एसिडइनसाल्युविल एश तथा यूरिया एव अफ्लाटॉक्सिन जॉच करने की व्यवस्था है। वर्ष 2023–24 में कुल 130 (सितम्बर 2023तक) नमूनों का विश्लेषण किया गया।

06. बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (रा0यो0/एस0सी0पी0/समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित)

यह अनुसूचितजाति के लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है, जो समाज कल्याण विभाग से वित्तपोषित है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करके उन्हें कुक्कुटपालन ट्रेड में तीन दिवसीय प्रशिक्षण निकट के पशुचिकित्सालय पर दिया जाता है उन्हें 50 चूजों की एक इकाई खुलवायी जाती है। प्रति इकाई रू0 3000. 00 मात्र का पैकेज व्यय आता है, जो पूर्णतः अनुदान है। पैकेज के अन्तर्गत 50 चूजे, कुक्कुट आहार, दवा, छप्पर की व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं चूजों का लाभार्थी के द्वार तक यातायात सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2023–24में 16666 इकाईयां खोले जाने का लक्ष्य था।(प्रति जनपद 200 कुक्कुट इकाई) तथा आकाक्षात्मक जनपद (श्रावस्ती, सिद्वर्थानगर, सोनभद्र, बहराइच, बलरामपुर, फतेहपुर, चन्दौली) एवं जनपद गोरखपुर में 400 इकाईया प्रति जनपद तथा जनपद बरेली में 266 इकाईयां स्थापित की जायेगी। जिसके माध्यम से अनूसूचित जाति के निर्धन/गरीब लाभार्थियों के लिये रोजगार सृजन किया गया।

वर्ष 2023–24 में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत की गई है तथा प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्य 16666 कुक्कुट इकाईयॉ के

सापेक्ष कुक्कुट इकाईयों की स्थापना की कार्यवाही क्रमित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना को मिशन शक्ति से सम्बद्ध किया गया है, जिसके सभी महिला लाभार्थियों का चयन किया गया है।

07–बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना

1–वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियोजन विभाग द्वारा दिनांक 19.11.2018 को वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी जिसका आवंटन वित्त नियंत्रक पशुपालन विभाग उ0प्र0 द्वारा दिनांक 09.01.2019 को जनपदों को दिया गया मार्च माह में लोक सभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण आवंटित धनराशि व्यय नही हो सकी तथा सम्पूर्ण धनराशि समर्पित कर दी गयी थी। वित्तीय वर्ष 2019–20 मे जनपद स्तर पर आमंत्रित ई–निविदा में कुक्कुट चूजे एवं आहार की दर कम होने के कारण कम संख्या मे निविदादाताओ द्वारा प्रतिभाग करने के कारण कुक्कुट चूजो एवं कुक्कुट आहार की दरे निर्धारित नही हो सकी परन्तु जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में चयनित लाभार्थियो के प्रशिक्षण, कुक्कुट आवास के निर्माण, वाटरर व फीडर एवं अन्य मदो मे रू0 8.82 करोड़ की धनराशि व्यय की गई।

उक्त के क्रम मे अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सातो जनपदो हेतु महिला समृद्धिकरण ब्रायलरपालन योजना 2018–19 व 2019–20 दो वर्षो के लिये स्वीकृत की गयी थी। योजना की स्वीकृति के समय बाजार भाव के अनुसार ब्रायलर कुक्कुट चूजो की दर रू0 25 प्रतिचूजा एवं कुक्कुट आहार की दर रू0 30 प्रतिकिलोग्राम निर्धारित की गयी थी जो तत्समय उचित थी।

वित्तीय वर्ष 2020–21 मे माह जनवरी मे बजट आवंटित होने पर समयावधि कम होने के कारण आमंत्रित ई–निविदा में निविदा दाताओ द्वारा प्रतिभाग नही किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 मे योजनाअन्तर्गत कोई भी धनराशि आवंटित नही की गयी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 मे Expression of interest ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की गयी परन्तु कुक्कुट ब्रायलर चूजो एव कुक्कुट आहार की बाजार दरे अनुमोदित दरो से अधिक होने के कारण मात्र दो फर्म ही आपूर्ति के लिये तैयार हुये। उक्त दोनो फर्मो द्वारा 6.21950 लाख कुक्कुट ब्रायलर चूजो एवं 18.65 लाख किलो ग्राम कुक्कुट आहार की आपूर्ति की गयी तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 मे जनपदो द्वारा रू0 17. 61 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी। इस प्रकार योजना की कुललागत रू0 70 करोड़ के सापेक्ष रू0 26. 44 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुये प्रथम वर्ष के 9889 चयनित लाभार्थियो को आंशिक रूप से लाभान्वित किया गया है।

2– योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रू0 43.56 करोड़ का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में किया जाना है जिसके सफल संचालन किये जाने के लिए कुक्कुट चूजो एवं कुक्कुट आहार की वर्तमान अनुमोदित दरो में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा जिसके लिए योजनान्तर्गत विविध व्यय अन्तर्गत इस का समायोजन किया जा सकता है।

बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, पशुधन, उ0प्र0, शासनकी अध्यक्षता मे दिनांक 16 मार्च 2023 को निदेशालय में सम्पन्न हुयी बैठक में प्राप्त निर्देश के क्रम में विविध व्यय के लिए प्राविधानित धनराशि को समायोजित करते हुए संशोधित किया गया है। सभी मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा विविध व्यय को समायोजित करने हेतु सहमति प्रदान की गयी है।

योजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण करने के लिये विभाग का प्रस्ताव निम्नवत है–

1–महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना की समय सीमा को **31मार्च 2025** तक विस्तारित किया जाय।

2–महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना की कुल लागत रू0 70.00 करोड के सापेक्ष व्यय हेतु अवशेष रू0 43.56 करोड का व्यय करने की अनुमति प्रदान किया जाय।

3–बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत विभाग द्वारा योजना प्रारम्भ से अब तक कुल रू0 26.44 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गयी है जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर लिया गया है।

प्रक्रियात्मकरण नीति

कुक्कुट विकास कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में बैकयार्ड पोल्ट्री को विकसित करने तथा निजी क्षेत्र के बड़े कुक्कुट उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निम्न रणनीति बनायी गयी है:–

1. प्रमुख कार्यक्रमों का लक्ष्यों का वार्षिक त्रैमासिक तथा मासिक निर्धारण पर नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन कर कार्यक्रम में आने वाली कठिनाईयों के निस्तारण पर बल दिया गया है।
2. कुक्कुट स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित संक्रामक रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण तथा न्यू–इमर्जिंगडिजीज के रोग निदान की सुविधा कुक्कुट पालकों के द्वार पर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है।

3. प्रक्षेत्र में कुक्कुट विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक कुक्कुट कार्यक्रम अधिकारी नामित किया गया है, जो उद्यमियों को इस व्यवसाय में आ रही कठिनाईयो को दूर करने एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेगें।
4. बर्ड फ्लू से बचाव हेतु समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं मण्डलीय अधिकारियों को समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जा रहे हैं।
5. कुक्कुट पालन में स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

7–भेड़ तथा ऊन विकास
वित्तीय आवश्यकताओं का विकास

वित्तीय मांग

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय–व्ययक अनुमान
	2022–23	2023–24
भेड़ तथा ऊन विकास	114.71	491.66
लेखाशीर्षक	**पुनरीक्षितअनुमान**	**आय–व्ययक अनुमान**
	2023–24	2024–25
भेड़ तथा ऊन विकास	484.02	491.66

परिचयात्मकः–

1– प्रदेश में भेड़ एवं ऊन विकास का मूल उद्देश्य कार्पेट योग्य मीडियम कोर्स ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना।
2. भेड़ पालकों के आर्थिक स्तर को उन्नतशील बनाना व कार्पेट निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

भेड़ विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

क0सं0	मदविवरण	2022–23		2023–24		2024–25
		लक्ष्य वास्तविक	पूर्ति	लक्ष्य अनुमानित	पूर्ति (जुलाई–23)	अनुमानित लक्ष्य
1	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की संख्या–2 उपलब्ध नर मेढ़ा 209 , मादा भेड़े– 1336					
क	उत्पन्न संतति	1396	364	954	16	954
ख	प्रजनन हेतु वितरित नर/मादा बच्चे	570	263	570	285	570
2	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र–180, मेढ़ा केन्द्र–5					
	प्रजनन हेतु वितरित भेड़ों की संख्या–1744					
क	गर्भित भेड़ों की संख्या	330000	359140	330000	137409	330000
ख	उत्पन्न संतति	230000	284919	230000	64611	230000
ग	दवा पान	400000	924138	400000	249384	400000
घ	चिकित्सा	260000	132744	260000	29981	260000

भेड़ विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2024–25

क्र0	मदविवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0तैमास	द्वि0त्रैमास	तृ0 तैमास	च0तैमास
1	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित भेड़ों की संख्या	747	186	186	186	189
ख	उत्पन्न संतति	954	238	238	238	240
ग	प्रजनन हेतु वितरित नर/मादा बच्चे	570	143	143	142	142

क्र0	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0तैमास	द्वि0त्रैमास	तृ0 तैमास	च0तैमास
1	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र/ मेढ़ा केन्द्र					
क	गर्भित भेड़ों की संख्या	330000	82500	82500	82500	82500
ख	उत्पन्न संतति	230000	57500	57500	57500	57500
ग	दवा–पान	400000	100000	100000	100000	100000
घ	चिकित्सा	260000	65000	65000	65000	65000

8–सूकर विकास

परिचयात्मकः–

1. मानव खाद्य योग्य पदार्थो का आहार व मानव उपयोग हेतु पशु अन्य प्रोटीन युक्त उत्तम आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूकर पालन व्यवसाय हो प्रोत्साहित किया जाना तथा उन्नत प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराकर देशी प्रजाति में संकर प्रजनन कराकर मांस उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि करना।
2. ग्रामीण परिवेश में स्थानीय स्तर परस्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. निर्बल एवं उपेक्षित वर्ग का आर्थिक उन्नयन करना।

सूकर विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

क0सं0	मद विवरण	2022–23		2023–24		2024–25
		लक्ष्य वास्तविक	पूर्ति	लक्ष्य अनुमानित	पूर्ति (जुलाई,–23)	अनुमानित लक्ष्य
1	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों की संख्या--6 उपलब्ध नर पशु 111, मादा 214					
क	उत्पन्न संतति	7378	1100	7350	498	2380
ख	प्रजनन हेतु वितरित सूकर शावक	1350	867	1350	456	1350
2	सूकर विकास खण्ड–34/नर सूकर युक्त पशु चिकित्सालयों की संख्या–415					
क	गर्भित सूकरियों की संख्या	11250	2379	11250	179	11250
ख	उत्पन्न संतति	41250	5869	41250	143	41250

सूकर विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2024–25

क्र0	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0तैमास	द्वि0त्रैमास	तृ0 तैमास	च0तैमास
1	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित सूकरियों की संख्या	170	42	42	42	42
ख	उत्पन्न संतति	2380	595	595	595	595
ग	प्रजनन हेतु वितरितसूकर शावक	1350	327	327	327	328
2	सूकर विकास खण्ड–नरसूकर युक्त पशुचिकित्सालय					
क	गर्भित सूकरियों की संख्या	11250	2812	2812	2812	2814
ख	उत्पन्न संतति	41250	10312	10312	10312	10314

बकरी विकास

परिचयात्मकः–

1 समाज के निर्बल आय वर्ग के आर्थिक उन्नयन हेतु परम्परागत सह–उद्योग के रूप में विकसित किया जाना।

2. ग्रामीण परिवेश में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

3. मानव उपयोग हेतु बकरी जन्य पदार्थो यथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

बकरी विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ

क्र0सं0	मदविवरण	2022–23		2023–24		2024–25
		लक्ष्य वास्तविक	पूर्ति	लक्ष्य अनुमानित	पूर्ति (अगस्त–23)	अनुमानित लक्ष्य
1	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की संख्या–6 उपलब्ध नरपशु 142, मादा 240					
क	उत्पन्न संतति	430	233	378	37	313
ख	प्रजनन हेत वितरित बच्चे	170	138	170	30	170
2	नर बकरा युक्त प0 चि0 की सं0–1141					
कं	गर्भित बकरियों की संख्या	3750	229	3750	246	3750
ख	उत्पन्न संतति	6000	195	6000	52	6000

बकरी विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2024–25

क्र0	मदविवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0तैमास	द्वि0त्रैमास	तृ0 तैमास	च0तैमास
1	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित बकरियों की संख्या	196	49	49	49	49
ख	उत्पन्न संतति	313	78	78	78	79
ग	प्रजनन हेत ु वितरित बच्चे	170	42	42	43	43
2	नर बकरा युक्त पशु चिकित्सालय					
क	गर्भित बकरियों की संख्या	3750	937	937	937	939
ख	उत्पन्न संतति	6000	1500	1500	1500	1500

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रो का परिचयात्मक एवं उद्देश्य

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अंतर्गत 10 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र कार्यरत हैं जिनका मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है–

1. भारतीय मूल के गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
2. भारतीय मूल के उन्नतशील नस्ल के सांडों का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालकों को प्रजनन हेतु सांडों का उपलब्ध कराना।
3. उन्नतशील प्रजाति के आधारीय तथा प्रमाणित चारा बीजों का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

10 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों में से 9 प्रक्षेत्र. शासन द्वारा वाणिज्यिक एवं 1 प्रक्षेत्र अवाणिज्यिक घोषित हैं। प्रक्षेत्रों पर चल रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है–

क0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	वाणिज्यिक / अवाणिज्यिक	चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण
1	आराजीलाइंस–वाराणसी	वाणिज्यिक	गंगातीरी नस्ल की गाय तथा मिडिल व्हाइट यार्कशायर नस्ल के सूकर संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चाराबीज का उत्पादन।
2	आटा–जालौन	अवाणिज्यिक	विभिन्न नस्लों के गो एवं महिषवंशीय नर बच्चों का सांड हेतु सम्बर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
3	बाबूगढ–गाजियाबाद	वाणिज्यिक	हरियाना गायों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
4	भरारी–झांसी	वाणिज्यिक	थारपारकर गायों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
5	चकगंजरिय स्थान निबलेट–बाराबंकी	वाणिज्यिक	साहीवाल गायों का संरक्षण एवं संवर्धन ।
6	हस्तिनापुर–मेरठ	वाणिज्यिक	हरियाना गायों एवं मुर्रा भैसों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
7	मंझरा–खीरी	वाणिज्यिक	मुर्रा भैसों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
8	निबलेट–बाराबंकी / कमियार–बाराबंकी	वाणिज्यिक	मिडिल व्हाइट यार्कशायर नस्ल के सूकर संरक्षण एवं संवर्धन तथा चकगंजरिया,प्रक्षेत्र पर पाले जा रहे पशुओं के लिये निबलेट, प्रक्षेत्र से हरा चारा उत्पादन कर उपलब्ध कराया जाता है।
			कमियार प्रक्षेत्र का संचालन निबलेट प्रक्षेत्र द्वारा किया जाता है । यह प्रक्षेत्र बाढ ग्रसित क्षेत्र है यहां पर जलभराव होने कारण केवल रवी फसलों के अंतर्गत रवी चारा बीज की फसलें ली जाती हैं यहां पर कोई भी पशु नही पाले जा रहे हैं। प्रक्षेत्र पर कोई भी आवासीय एवं अनावासीय भवन नहीं हैं।
9	नीलगांव–सीतापुर	वाणिज्यिक	हरियाना गायों एवं मुर्रा भैसों तथा मिडिल व्हाइट यार्कशायर नस्ल के सूकर का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
10	सैदपुर–ललितपुर	वाणिज्यिक	हरियाना गायों,मिडिल व्हाइट यार्कशायर नस्ल के सूकर एवं बीटल / बरबरी बकरी का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2024–2025

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार दुग्ध उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

दुग्ध उत्पादन लीटर में

क्र0सं0	प्रक्षेत्र का नाम	2022–23			2023–24 (माह–जून 2023 तक)			2024–2025 (अनुमानित)		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आराजीलाइंस–वाराणसी	129648.00	119443.00	-10205.00	113880.00	27477.50	-89402.50	113880.00	0	0
2.	आटा–जालौन	बुल रियरिंग प्रक्षेत्र हैं। दुधारू पशु नही पाले जाते है।								
3.	बाबूगढ–हापुड़	211992.00	145598.80	-66394.00	199728.00	39679.00	-163049.00	199728.00	0	0
4.	भरारी–झांसी	197392.00	87621.00	-109771.00	182208.00	30148.00	-152060.00	182208.00	0	0
5.	चक गंजरिया स्थान निबलेट–बाराबंकी	491538.00	325326.50	-166211.50	416947.00	79827.50	-337119.50	416947.00	0	0
6.	हस्तिनापुर–मेरठ	167966.00	129162.00	-38804.00	185872.60	36907.00	-148965.60	185872.60	0	0
7.	मंझरा–खीरी	206218.00	131006.12	-75211.80	208163.00	31376.20	-176786.80	208163.00	0	0
8.	निबलेट–बाराबंकी	दुधारू पशु नही पाले जा रहे है। केवल कृषि कार्य किया जा रहा है।								
9.	नीलगाव–सीतापुर	78796.00	65123.50	-13672.50	91173.40	18443.00	-72730.40	91173.40	0	0
10	सैदपुर–ललितपुर	233019.00	168053.00	-64966.00	241776.00	42212.00	-199564.00	241776.00	0	0
	योग	**1716566.00**	**1171333.92**	**-545232.08**	**1639748.00**	**306070.00**	**-1333678.00**	**1639748.00**	**0**	**0**

कार्यपूर्ति दिगदर्शक 2024–25

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार फसलों की बुआई एंव उत्पादन का लक्ष्य एंव उपलब्धियों का विवरण

क्र0स0	फसल का नाम	वर्ष 2022–23			2023–24(माह–जुलाई 23 तक)			2024–25(अनुमानित)		
		लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप	लक्ष्य	पूर्ति	गैप
1	क्षेत्र आच्छादन का विवरण है0 में									
	जायद / खरीफ चारा	737.44	740.60	+3.16	776.84	751.80	-25.04	760.00	--	–
	रबी चारा	420.85	420.85	-	422.00	प्रस्तावित		425.00	–	–
	खरीफ चारा बीज	390.00	355.00	-35.00	344.10	292.10	-52.00	390.00	–	–
	रबी चारा बीज	1336.59	1271.70	-64.89	1335.00	प्रस्तावित		1340.00		
	योग	**2884.88**	**2788.15**	**-96.73**	**2877.94**	**1043.90**	**-77.04**	**2915.00**	–	–
2	उत्पादन का विवरण (टन में)									
	क–हरा चारा									
	1–जायद / खरीफ चारा	24080.10	22179.58	-1900.52	25187.60	चारा फसलों से उत्पादन लिया जा रहा		25080.00	–	–
	2–रबी चारा	16712.00	15942.00	-770.00	17302.00	प्रस्तावित		17425.00		
	योग	**40792.10**	**38121.58**	**-2670.52**	**42489.60**	**-**	**-**	**42505.00**	–	–
	ख–सूखा चारा(टनमें)									
	1–खरीफ सूखा चारा	1050.00	463.00	-587.00	991.26	फसल की परिपक्वताा पर उत्पादन प्राप्त होगा		1053.00	–	–
	2–रबी सूखा चारा	4992.00	1706.52	-3285.48	5006.25	प्रस्तावित		5025.00	–	
	योग	**6042.00**	**2169.52**	**-3872.48**	**5997.51**	**-**	**-**	**6078.00**	–	–
3	बीज (टन में)									
	1–खरीफ बीज	234.00	19.71	-214.29	206.46	फसल की परिपक्वताा पर उत्पादन प्राप्त होगा		234.00	–	–
	2–रबी बीज	1973.13	1066.26	-906.87	1970.47	प्रस्तावित		1989.90	–	–
	योग	**2207.13**	**1085.97**	**-1121.16**	**2176.93**	**-**	**-**	**2223.90**	–	–

रा0प0एंव कृषि प्रक्षेत्र निबलेट–बाराबंकी पर ऊसर सुधार कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2024–25 में खरीफ फसल में 93.00 हे0 में सामान्य धान बीज, रबी फसल के अर्न्तगत 90.00 हे0 जौ की बुआई प्रस्तावित है।

चारा तथा चारागाह विकास

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण वित्तीय मांगः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	लेखाशीर्षक	वर्ष 2022–23 के वास्तविक आंकडे	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25 आय–व्ययक अनुमान
			अनुमान	पुनरीक्षित	
1	अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)	–	200.00	200.00	200.00

1– परिचयात्मक उद्देश्यः–

मानव जनसंख्या में उत्तरोत्तर हो रही वृद्वि के कारण कृषकों/पशुपालको द्वारा खाद्यान्न फसलों कों प्राथमिकता दिये जानें से चारा फसलों के क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही है जिससे पशुओं के लिये हरे चारे की समस्या रहती है जिसके फलस्वरूप पशुओं का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा वह अपने नस्ल क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाते है। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार उ0प्र0 में 190.19 लाख गोवंशीय पशु,330.16 लाख महिषवंषीय पशु, 9.84 लाख भेड, 144.80बकरी पाले जाते है।

चारे के अर्न्तगत सीमित भूमि उपलब्ध होने के कारण प्रदेश में आवश्कता के सापेक्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चारा क्षेत्रफल में विस्तार किया जाना,उच्च गुणवत्तायुक्त चारा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा खेती की आधुनिक प्रणाली (मिश्रित एवं अर्न्तवर्ती खेती) अपनाकर चारा उत्पादन किया जाना ही एकमात्र विकल्प हैं।

प्रदेश में पाये जाने कुल पशुधन संख्या हेतु आवश्यक हरे चारे,सुखे चारे एवं दाने की सभी श्रोतो को मिलाकर कुल उपलब्धता लगभग 55.85प्रतिशत हरा चारा,एवं 78.89 प्रतिशत सूखा चारा एवं 13.43 प्रतिशत दाना ही प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार 44.15 प्रतिशत हरे चारे, 21.11 प्रतिशत सूखे चारे एवं 84.57 प्रतिशत दाने की कमी है। प्रदेश में पाये जाने वाले कुल पशुधन संख्या को चारा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के अन्तर्गत कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 8.19 प्रतिशत (14.00 लाख हे0) क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी जो खेती योग्य भूमियों से भिन्न प्रकार की भूमियों में जैसे बंजर/परती, चरागाह की भूमि, वन भूमि आदि का उपयोग कर बहुवर्षीय चारा उत्पादन के कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता है।

वर्ष 2023–24 में पशुओं के आहार पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओ के माध्यम से प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम चलाया जायेगा।

राज्य योजनाः–

1–**अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (ए0एफ0डी0पी0)–**

अधिक से अधिक पशुपालकों को प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराने के उददेश्य से **राज्य योजना के अधीनअतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम**अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध पशुधन हेतु समस्त 75 जनपदों में 4000.00 हे0 क्षेत्रफल में हरा चारा उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक चयनित लाभार्थी को कम से कम 0.1 हे0 तथा अधिकतम 0.5 हे0 क्षेत्रफल हेतु रू0 500.00 प्रति इकाई की दर से (0.1 हे0 क्षेत्रफल) चारा बीज निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के लिए धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड मात्र) की मांग प्रस्तावित की जा रही है। उक्त कार्य योजना वर्ष 2023–24 की खरीफ/रबी/जायद सीजन में कियान्वित करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत कुल 40000 पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हरा चारा उत्पादन हेतु प्रत्येक जनपद की भौगोलिक स्थिति, सिंचित दशा तथा फसल सोजन के अनुसार चारा उत्पादन किट पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में 80 प्रतिशत पशुपालन का कार्य लघु एवं सीमांत कृषकों/पशुपालकों द्वारा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में योजना को व्यापक रूप से पशुपालकों के लाभोन्मुखी बनाने हेतु न्यूनतम 0.1 हे0 तथा अधिकतम 0.5 हे0 सीलिंग निर्धारित की गयी है।

उक्त कार्य योजना वर्ष 2023–24 की खरीफ/रबी/जायद सीजन में कियान्वित करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

योजना का उद्देश्यः–

1– प्रदेश में चारे की कमी को दूर करने में सहायता करना।
2– पशुपालकों को दुग्ध व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
3– पशुओं को हरा एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना।
4– पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
5– पशुओ के मृत्यु दर में कमी आयेगी।
6– हरे चारे का उत्पादन बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन लागत में कमी लाना।

प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण

परिचयात्मक/उद्देश्यः–

प्रदेश में संचालित विभिन्न पशुपालन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकी को ग्राह्य करवाना तथा जन सामान्य को पशुधन पदार्थो की उपलब्धता बढाना है। इसके साथ ही प्राचीन रूढ़ियों को समाप्त कर पशुपालन के विभिन्न आयामों को लाभप्रद दिशा प्रदान करना है ।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्यक्रमों का प्रचार एंव प्रसार किया जा रहा हैः–

1– अखिल भारतीय पशुधन एंव कुक्कुट प्रदर्शनी तथा अन्य पशुधन प्रदर्शनियों में भाग लेना ।
2– मंडल/जनपद स्तर की पशुधन प्रदर्शनियों ,पशुपालन गोष्ठियों का आयोजन ।
3– प्रचार प्रसार साहित्य का प्रकाशन, प्रेक्ष्य निर्माण एंव प्रदर्शन आदि ।
4– गोष्ठी ,पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ।

विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत करायी गयी गोष्ठियां/मेला

कार्यक्रम	वर्ष–2022–23		वर्ष–2023–24		वर्ष–2024–25	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1–पशुपालकगोष्ठियां/मेला	2481	2481	2481	–	2481	–
2–पशुपालक प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	–
3– साहित्य प्रकाशन	1	1	–	–	–	–

नोटः– जनपदों/मंडल स्तर पर आयोजनेत्तर/आयोजनागत योजनाओं में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने का प्राविधान है ।

प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय मॉग धनराशि लाख रू0 में

लेखा शीर्षक	वास्तविक आंकडें	आय व्ययक अनुमान
	2022–23	2023–24
प्रशासनिक अन्वेषण तथा सॉख्यिकी	104.22	1070.60
लेखा शीर्षक	पुनरीक्षितअनुमान	आय व्ययक अनुमान
	2023–24	2024–25
प्रशासनिक अन्वेषण तथा सॉख्यिकी	989.40	718.50

अ–उत्पादकता

क0 स0	पशुजन्य पदार्थ का नाम		पशु प्रजाति का नाम	इकाई	औसत उत्पादन प्रति पशु प्रतिदिन	
					2021–22	2022-23 (अनन्तिम)
1	दुग्ध उत्पादन	क	विदेशी गाय	किग्रा0	9.39	9.76
		ख	क्रास ब्रीड गाय	किग्रा0	7.46	8.27
		ग	स्वदेशी गाय	किग्रा0	3.94	4.06
		ध	अवर्णित गाय	किग्रा0	3.20	3.25
		ड	स्वदेशी भैंस	किग्रा0	5.09	5.62
		च	अवर्णित भैंस	किग्रा0	4.12	4.32
		क्ष	बकरी	किग्रा0	0.798	0.820
	अण्डा उत्पादन	क	अवर्णित	संख्या	147.660	180.813
		ख	उन्नतिशील	संख्या	261.732	260.233
3	ऊन उत्पादन					
			भेड	किग्रा0	0.926	0.995

उपलब्धियां

- वर्ष 2021–22 मे प्रदेश मे 338.736 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन हुआ ।
- वर्ष 2022–23 मे 362.417 लाख मी0 टन दुग्ध उत्पादन हुआ ।
- वर्ष 2021–22 मे प्रदेश मे 4041.168 मिलियन अण्डा उत्पादन हुआ ।
- वर्ष 2022–23 मे 4558.548 मिलियन अण्डा उत्पादन हुआ।
- वर्ष 2021–22 मे प्रदेश मे 1127.60 हजार मी0 टन मांस उत्पादन हुआ ।
- वर्ष 2022–23 मे प्रदेश1191.760 हजार मी0 टन मांस उत्पादन हुआ।
- वर्ष 2021–22 मे प्रदेश मे 8.151 लाख किग्रा0 ऊन उत्पादन हुआ ।
- वर्ष 2022–23 मे प्रदेश 8.190 लाख किग्रा0 ऊन उत्पादन हुआ ।

पशुधन का स्तर

पशुगणना 2012 (19वीं पशुगणना) व वर्ष 2019 (20 वी पशुणना) के अनुसार प्रदेश मे पशुधन संख्या निम्नलिखित तालिका मे दर्शित है–

उत्तर प्रदेश मे 19 वी व 20 वीं पशुगणना मे प्रजातिवार वृद्वि / हास का विवरण–

पशु प्रजाति का विवरण	पशुओं की संख्या वर्ष 2012 (लाख मे)	पशुओं की संख्या वर्ष 2019 (लाख मे)	वृद्वि / हास का प्रतिशत
1– विदेशी और क्रासबेड गोवंशीय	35.79	61.23	71.08
दूध दे रही	12.15	22.67	86.58
सूखी	4.45	6.84	53.71
दुधारु	16.6	29.51	77.77
प्रजनन योग्य	17.96	30.65	70.66
2– स्वदेशी गौवंशीय	159.78	128.97	-19.28
दूध दे रही	46.68	39.37	-15.66
सूखी	19.27	16.52	-14.27
दुधारु	65.95	55.89	-15.25
प्रजनन योग्य	71.12	58.71	-17.45
3– कुल गौवंशीय	195.57	190.2	-2.75
दूध दे रही	58.83	62.04	5.46
सूखी	23.72	23.36	-1.52
दुधारु	82.55	85.4	3.45
प्रजनन योग्य	89.08	89.36	0.31
4– महिषवंशीय			
कुल महिषवंशीय	306.25	330.17	7.81
दूध दे रही	105.38	113.2	7.42
सूखी	34.12	33.01	-3.25
दुधारु	139.5	146.21	4.81
प्रजनन योग्य	151.03	153.12	1.38
भेड	13.54	9.85	-27.25
बकरी	155.86	144.8	-7.10
सूकर	13.34	4.09	-69.34
अन्य पशुधन	2.6	1.03	-60.38
कुल पशुधन	697.25	691.98	-0.76
कुक्कुट	186.68	125.16	-32.95

नोट– पशुगणना वर्ष 2012 व वर्ष 2019 के कुल पशुधन मे छुट्टा गौवंशीय क्रमशः 10.09 लाख एवं 11.84 लाख को शामिल किया गया है।

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग (धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक	वास्तविक आंकडें	आय व्ययक अनुमान
	2022–23	2023–24
800–अन्य व्यय	6775.70	7516.46
	पुनरीक्षितअनुमान	आय व्ययक अनुमान
लेखाशीर्षक	2023–24	2024–25
800–अन्य व्यय	5907.35	7973.78

गोशाला विकास

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर के अन्तर्गत गोशालाओं के विकास की स्थापना संबंधी योजनाओं के परिपेक्ष्य में निम्नांकित योजनाएं चलाई जा रही हैः–

1–**योजना का नामः–** (अ) योजना का उद्देश्य	**उ0प्र0 गोसेवा आयोग को सहायता दिया जाना** प्रदेश में भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण/सम्वर्धन तथा विकास को सुनिश्चित करने गौ कल्याण संबधी अधिनियमों उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 1999 में उ0प्र0 गोसेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग द्वारा गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने तथा इन्हें सूत्रबद्व करते हुए इनके कार्यकलापों में विविधीकरण लाते हुए गति प्रदान की जा रही है। और इन्हें आर्थिक विकास के पद पर अग्रसर होने में पथ प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त योजनांतर्गत आयोग के कार्यालय के संचालन एवं कार्यकलापों के सूचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग को सहायता दी जाती है। उ0प्र0 गोसेवा आयोग के कार्य संचालन के अंतर्गत मुख्यतः कार्यालय के संचालन आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्यो के यात्रा भत्ता, लेखन सामग्री व फार्मो की छपाई, टेलीफोन बिल एवं अन्य मशीनों एवं संयत्रों का क्रम के साथ–साथ व्यवसायिक और विशेष सुविधांऐं हेतु भुगतान इत्यादि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु रू0–100.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2–योजना का नामः– (अ) योजना का उद्देश्य	<u>प्रदेश के समस्त जनपदों में वृहद गो संरक्षण केन्द्रो की स्थापना(रा0यो0)</u> चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रदेश के निराश्रित/ बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में वृहद गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिए रू0 160.12 लाख प्रति केन्द्र कीदर से उपाशयित कुल व्यय भार रू0 12000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष– 2023–24 मे प्रथम किश्त के रूप में 75 केन्द्रो की स्थापना हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था करते हुए धनराशि रू0 6600.00 लाख निर्गत किया जा चुका है।
4–योजना का नामः– (अ) योजना का उद्देश्य	<u>छुट्टा गोवंश के रख रखाव हेतु (रा0यो0)</u> योजनान्तर्गत प्रदेश में विद्यमान निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के दृष्टिगत अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर रखे गये गोवंशों के भरण पोषण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 म(धनराशि रू0–75000.00 लाख (रू0 सात अरब पचास करोड़ मात्र) का बजटीय प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2023 तक कुल धनराशि रू0–50.000.00 लाख निर्गत की जा चुकी है। जनपदों के जिलाधिकारियों/मु0प0चि0अ0 की मांग के अनुसार धनराशि रू0 49354.21622 लाख जनपदों को तथा गौआश्रय स्थलों को डी0बी0टी0 द्वारा हस्तान्तरित कर दी गयी है। इसके अतिरिक्तधनराशि रू0 25000 लाख की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

चर्म शोधन एवं पशु शव का उपयोग

(धनराशि रु0 हजार में)

प्रशिक्षण एंव उत्पादन का मद	वर्ष 2022–23 वास्तविक	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25 का अनुमान	अभियुक्ति
		अनुमानित	पुनरीक्षित		
पशु शव उपयोग शाखा					–
1. उपयोग किये गये पशुओं की संख्या (अदद में)	97	150	150	150	वर्ष 2023–2024 के अनुमानित/पुनरीक्षित तथा वर्ष 2024–25 के अनुमानित आंकडे फील्ड से प्राप्त मृत पशु शवों की संभावना पर आधारित है।
2. मीट कम बोन मील (किग्रा में)	2349.500	1200	1200	1200	
3. चर्बी (किग्रा में)	–	40	40	40	
4. जानवरों की सींग(जोंडो में)	12	50	50	50	
5. जानवरों के पूछ के बाल (किग्रा में)	0.560	0.800	0.800	0.800	
<u>प्रशिक्षण</u>					
6. प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की संख्या (चार मासीय)	–	20	20	20	
चर्म शोधन शाखा					–
1. वनस्पति शोधित (सोल/इनसोल लेदर कि0ग्रा0 में)	–	40	20	40	वर्ष 2023–2024 के अनुमानित एवं पुनरीक्षित लक्ष्य के अन्तर का कारण प्रशिक्षार्थियों की निर्धारित संख्या 20 के सापेक्ष 10 होना, संसाधनों का अभाव होना है एवं मशीनों की स्थितियाँ अत्यधिक जीर्ण–छीर्ण तथा माह जनवारी 2022 से माह फरवरी 2023 तक पाईप लाइन का क्षतिग्रस्त होना।
2. कोम अपर लेदर (वर्ग डे0सी0मी0 में)	–	6500	2500	6500	
3. रेगूलर हाईड एण्ड स्किन, शोधन (अदद में)	12	504	200	504	
<u>प्रशिक्षण</u>					
4. प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की संख्या (एक वर्षीय)	05	20	10	20	
फुटवियर एवं लेदर गुड्स					–
1. फुटवियर (जोड़ी में)	05	240	120	240	वर्ष 2023–2024 के अनुमानित एवं पुनरीक्षित आकडे में अन्तर का कारण अन्तर का कारण प्रशिक्षार्थियों की संख्या अनुमानित लक्ष्य से कम होना तथा संसाधनों का जीर्ण–छीर्ण होना है।
2. लेदर गुड्स (अदद में)	15	200	100	200	
<u>प्रशिक्षण</u>					
3. प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों की संख्या (एक वर्षीय)	09	20	20	20	

अनुदान संख्या – 15 के अधीन लेखाशीर्षक -0403- पशुपालन–राजस्व प्राप्तियो का अनुमान वर्ष 2024-25

(धनराशि रूपये में)

क्रमांक	लेखाषीर्षक–0403–पशु पालन राजस्व प्राप्तियाँ	वास्तवित आकड़े 2022–23	आय अनुमान 2023–24	पुनरीक्षित आय अनुमान 2023–24	आय अनुमान 2024–25
	103–मुर्गीपालन के विकास से प्राप्तियाँः–				
	01–उ0प्र0 पशुपालन विभाग के निदेशक के अधीन कुक्कुट प्रक्षेत्रों से प्राप्तियाँ	3643720	5000000	5000000	5250000
1	**104–भेड़ पालन एवं ऊन विकास से प्राप्तियाँः–**				
	01– भेड़ पालन एवं ऊन विकास से प्राप्तिया	2418625	1850000	1850000	1867500
2	**105–सूकर पालन के विकास से प्राप्तियाँः–**				
	01–सूकर पालन के विकास से प्राप्तिया	8445405	10500000	10500000	10775000
3	**106–चारे और चारागाह के विकास से प्राप्तियाँः–**				
	01– चारे और चारागाह के विकास से प्राप्तिया	34870459	140000000	140000000	145000000
4	**108–अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियाँः–**				
	01–अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियाँ	6476863	6100000	6100000	6130000
5	**501–सेवायें और सेवा शुल्कः–**				
	01– सेवायें और सेवा शुल्क	0	25211395	25211395	31767765
6	**800–अन्य प्राप्तियाँः–**				
	01–पशुपालन विभाग के निदेशक के अधीन प्राप्तियाँ	0	20000	20000	20000
	02–अधिक भुगतान से वसूलियाँ	4500	6000	6000	6000
	03–इमारतो का किराया	110806	260000	250000	281500
	04–लोथ उपयोग केन्द्रों से आय	77230	81000	72000	76000
	05–निदेशक, पशुपालन के नियंत्रण के अधीन दूध और दूध से बनाई अन्य वस्तुओं की बिक्री से आय	35197215	75000000	75000000	78750000
	06–अभिजनन और गर्भित कराने की फीस और पशुओं की बिक्री से आय	10643200	10600600	120700000	150770000
	99–प्रकीर्ण प्राप्तियाँ	5117462	11110000	11010000	11580000
7	महा योग	**107005485.46**	**285738995.00**	**395719395.00**	**442273765.00**

प्रारूप संख्या–1

श्रेणी–1 व 2 के अधिकारियों के पदों की दिनांक 01.04.2023 के अनुसार स्थिति

क0 सं0	विभिन्न संवर्ग के पदो के पदनाम	दि0 01.04.23 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7 वें वेतन आयोग के अनुसार		समूह (क, ख)	अभियुक्ति
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतनमान (रू0)	सादृश्य मैट्रिक्स लेबल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	निदेशक प्रशासन एवं विकास	1	0	1	0	1	144200–218200	14	क	
2	निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र	0	1	1	1	0	144200–218200	14	क	
3	अपर निदेशक ग्रेड–1	4	0	4	0	4	131100–216600	13 क	क	
4	वित्त नियंत्रक	1	0	1	1	0	131100–216600	13 क	क	
5	अपर निदेशक ग्रेड–2	20	1	21	11	10	123100–215900	13	क	
6	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	0	1	1	0	78800–209200	12	क	
7	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	73	2	75	58	17	78800–209200	12	क	
8	संयुक्त निदेशक	67	0	67	29	38	78800–209200	12	क	
9	संयुक्त निदेशक (सांख्यकीय)	1	0	1	0	1	78800–209200	12	क	
10	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी / उप निदेशक / अधीक्षक	468	0	468	271	197	67700–208700	11	क	
11	उप निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	0	1	1	0	67700–208700	11	क	
12	प्रधानाचार्य, बी0के0टी0, लखनऊ	1	0	1	0	1	67700–208700	11	क	
13	उपनिदेशक (सॉख्यकीय)	1	1	2	0	2	67700–208700	11	क	
14	पशु चिकित्साधिकारी	1400	584	1984	1719	265	56100–177500	10	ख	
15	सहायक निदेशक (प्रचार)	1	0	1	0	1	56100–177500	10	ख	
16	पशुधन विपणन अधिकारी	1	0	1	1	0	56100–177500	10	ख	
17	प्रोग्रामर (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग)	1	0	1	0	1	56100–177500	10	ख	
18	सांख्यिकीय अधिकारी	4	2	6	0	6	56100–177500	10	ख	
19	वित्त एवं लेखाधिकारी	16	0	16	7	9	56100–177500	10	ख	
20	प्रक्षेत्र प्रबंधक (कृषि संवर्ग)	6	0	6	5	1	56100–177500	10	ख	
21	कृषि अधिकारी	0	1	1	0	1	56100–177500	10	ख	
22	चारा विकास अधिकारी	2	0	2	1	1	56100–177500	10	ख	
23	सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	0	1	1	0	56100–177500	10	ख	
24	सहायक लेखाधिकारी	2	0	2	2	0	47600–151100	8	ख	
25	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	1	0	47600–151100	8	ख	

26	पशुधन विपणन एवं अभिसूचना निरीक्षक	1	0	1	1	0	44900–142400	7	ख	
27	ऊन विपणन अधिकारी	0	1	1	0	1	44900–142400	7	ख	
28	ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	44900–142400	7	ख	
29	लाइव स्टाक इन्टेलीजेंस	1	0	1	0	1	44900–142400	7	ख	
30	क्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट)/सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी/ लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण/ सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट)	8	0	8	0	8	44900–142400	7	ख	
31	चर्म विकास अधिकारी	1	0	1	0	1	44900–142400	7	ख	
32	अपरसांख्यिकीय अधिकारी	58	23	81	64	17	44900–142400	7	ख	
33	प्रशासनिक अधिकारी	18	0	18	18	0	44900–142400	7	ख	
	योगः–	**2162**	**616**	**2778**	**2194**	**584**				

अराजपत्रित

क0 सं0	विभिन्न वर्गो के पदों के पदनाम	01.04.23 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7वें वेतन आयोग के अनुसार		समूह (ग अथवा घ)	अभ्युक्ति
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतनमान	सादृश्य मैट्रिक्स लेवल		
	1	2	0	4	5	6	7	8	9	10
	अराजपत्रित									
1	पशुधन प्रसार अधिकारी	2840	276	3116	2138	978	29200–92300	5	ग	
2	सहायक सांख्यकीय अधिकारी	121	0	121	0	121	35400–112400	6	ग	
3	कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
4	डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5	0	5	5	0	29200–92300	5	ग	
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	2	0	2	2	0	29200–92300	5	ग	
6	केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	4	0	4	1	3	29200–92300	5	ग	
7	ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	1	0	1	0	1	29200–92300	5	ग	
8	एयर कंडिशनर आपरेटर	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
9	एल0एन0 प्लांट मैकेनिक आपरेटर	1	22	23	6	17	29200–92300	5	ग	
10	रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	9	0	9	3	6	29200–92300	5	ग	
11	प्रचार निरीक्षक	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
12	प्रचार पर्यवेक्षक	4	0	4	0	4	21700–69100	3	ग	
13	कलाकार	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग	
14	सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
15	इलेक्ट्रीशियन/विद्युत यॉत्रिक	12	0	12	2	10	25500–81100	4	ग	
16	प्रयोगशाला सहायक	97	5	102	32	70	29200–92300	5	ग	
17	कनिष्ठ सहायक	340	0	340	376	.36	21700–69100	3	ग	36 अधिसंख्य
18	कनि0 सहा0 सह् उर्दू अनुवादक	0	30	30	28	2	19900–63200	2	ग	सीधी भर्ती का पद
19	वरिष्ठ सहायक	210	0	210	205	5	29200–92300	5	ग	प्रोन्नति का पद
20	प्रधान सहायक	58	6	64	63	1	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
21	लेखाकार	105	0	105	100	5	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
22	सहायक लेखाकार	35	0	35	20	15	29200–92300	5	ग	सीधी भर्ती का पद

23	कनिष्ठ सम्परीक्षक	3	0	3	0	3	25500–81100	4	ग	
24	वरिष्ठ सम्परीक्षक	12	0	12	3	9	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
25	आशुलिपिक	14	0	14	7	7	29200–92300	5	ग	सीधी भर्ती का पद
26	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9	0	9	2	7	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
27	आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	4	0	4	4	0	44900–142400	7	ग	प्रोन्नति का पद
28	वाहन चालक	157	38	195	98	97	19900–63200	2	ग	
29	सहायक कृषि अधिकारी	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
30	प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
31	ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	8	0	8	2	6	35400–112400	6	ग	
32	सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग	
33	वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
34	क्षेत्र अधीक्षक	3	0	3	2	1	35400–112400	6	ग	
35	प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	
36	कृषि निरीक्षक	3	0	3	3	0	29200–92300	5	ग	
37	सहायक क्षेत्र प्रबंधक	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
38	प्रक्षेत्र सहायक	6	0	6	6	0	29200–92300	5	ग	
39	स्नातक सहायक	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
40	पशुशाला पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
41	डेरी प्रभारी	3	0	3	3	0	29200–92300	5	ग	
42	डेरी एवं पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
43	सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
44	सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
45	संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	1	0	1	1	0	29200–92300	5	ग	
46	चारा निरीक्षक	10	0	10	10	0	29200–92300	5	ग	
47	संवर्धन(कल्टीवेशन) ओवरशियर	8	0	8	8	0	25500–81100	4	ग	
48	संवर्धन(कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	9	0	9	9	0	25500–81100	4	ग	
49	सहायक कृषि निरीक्षक	4	0	4	4	0	25500–81100	4	ग	
50	सहायक संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	2	0	2	2	0	25500–81100	4	ग	
51	सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
52	डेरी सहायक	4	0	4	4	0	25500–81100	4	ग	
53	पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
54	सहायक डेरी प्रभारी	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
55	डेरी पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
56	चारा निरीक्षक	2	0	2	2	0	25500–81100	4	ग	
57	विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	7	0	7	0	7	29200–92300	5	ग	
58	पशुधन विपणन निरीक्षक	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
59	ऊन विपणन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
60	बिन निरीक्षक	2	0	2	1	1	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
61	भण्डार कम बिन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
62	भण्डार पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	35400–112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
63	चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	49	0	49	2	47	44900–142400	7	ख	प्रोन्नति का पद
64	वेटनरी फार्मासिस्ट	1727	232	1959	861	1098	29200–92300	5	ग	
65	प्रभारी अधिकारी(फार्मेसी)	23	0	23	0	23	47600–151100	8	ख	प्रोन्नति का पद
66	फोरमैन मैकेनिक	2	0	2	2	0	35400–112400	6	ग	
67	ट्रेक्टर मैकेनिक	9	0	9	8	1	29200–92300	5	ग	
68	ट्रैक्टर आपरेटर	56	0	56	26	30	19900–63200	2	ग	

69	चिक सेक्सर	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
70	ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	12	0	12	0	12	35400–112400	6	ग	
71	अवर अभियन्ता	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग	
72	मैकेनिक	1	0	1	1	0	25500–81100	4	ग	
73	ट्रैक्टर आपरेटर,बी0के0टी0	1	0	1	0	1	25500–81100	4	ग	
74	डिजायनर कम क्लीनर/ वाटनर कम फिनीशर/ प्राविधिक सहायक कम चालक	9	0	9	9	0	29200–92300	5	ग	
75	मैकेनिक कम प्लॉण्ट आपरेटर	1	0	1	0	1	19900–63200	2	ग	
76	व्हायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	1	0	1	0	1	19900–63200	2	ग	
77	चर्म निरीक्षक	6	0	6	6	0	29200–92300	5	ग	
78	ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	1	1	2	0	2	35400–112400	6	ग	
79	प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5	0	5	0	5	29200–92300	5	ग	
80	गोसदन मैनेजर	4	0	4	2	2	29200–92300	5	ग	
81	ड्रेसर	152	143	295	187	108	18000–56900	1	घ	
82	चपरासी/अर्दली/परिचर/ चौकीदार/दफ्तरी/ स्वीपर/फार्म मैकेनिक/पशु0 मिस्त्री/ गट मास्टर/ अर्धकुशल श्रमिक, शववाहक, मशीन क्ली0/माली	5242	1564	6806	3716	3090	18000–56900	1	घ	
	योग	**11442**	**2317**	**13759**	**7993**	**5766**				

पशुपालन विभाग उ0प्र0 का संगठनात्मक ढॉचा

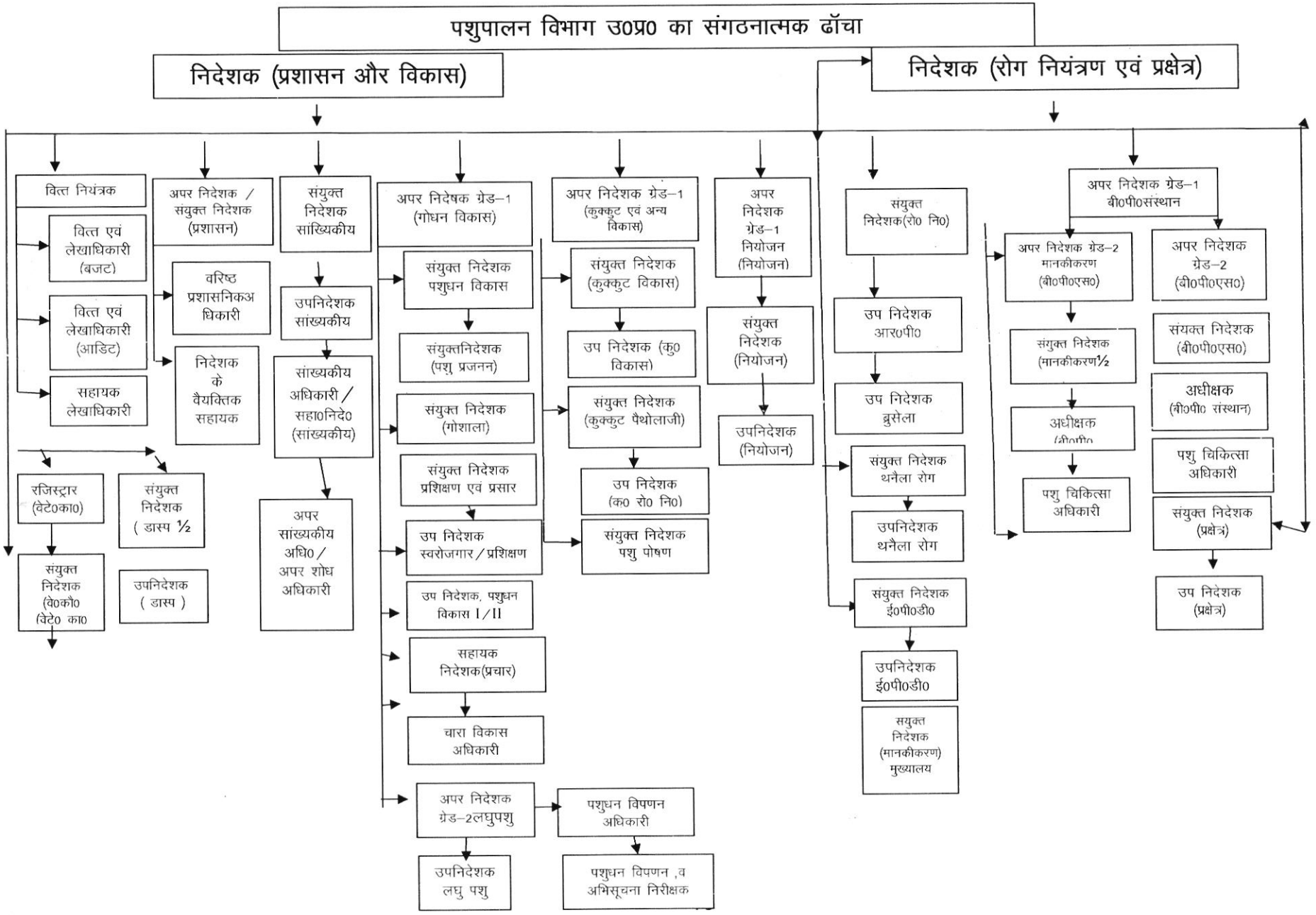

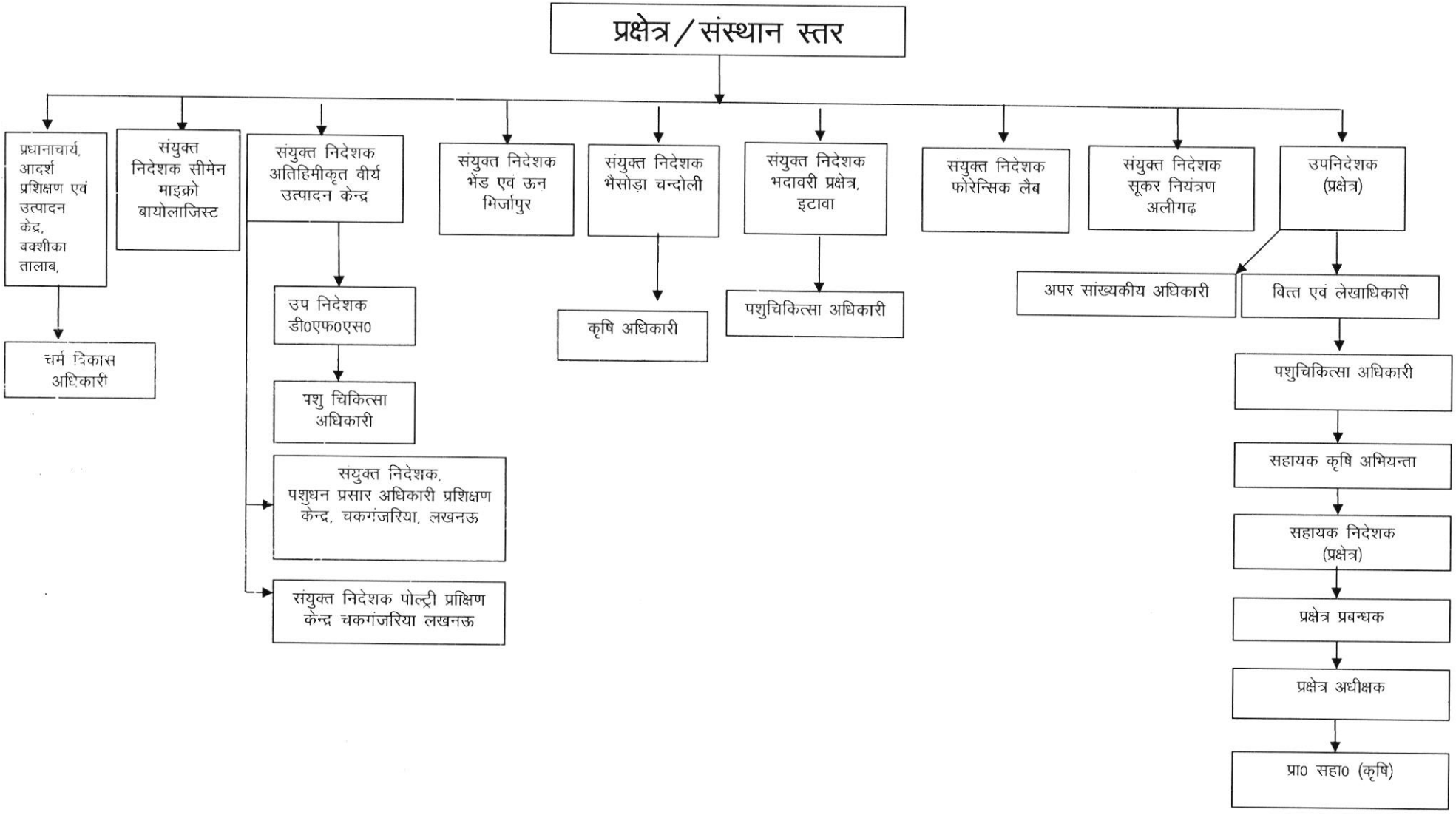
प्रक्षेत्र / संस्थान स्तर
प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र, बक्शीका तालाब,
चर्म विकास अधिकारी
संयुक्त निदेशक सीमेन माइक्रो बायोलाजिस्ट
संयुक्त निदेशक अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र
उप निदेशक डी0एफ0एस0
पशु चिकित्सा अधिकारी
संयुक्त निदेशक, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, चकगंजरिया, लखनऊ
संयुक्त निदेशक पोल्ट्री प्राक्षिण केन्द्र चकगंजरिया लखनऊ
संयुक्त निदेशक भेंड एवं ऊन भिर्जापुर
संयुक्त निदेशक भैसोड़ा चन्दोली
कृषि अधिकारी
संयुक्त निदेशक भदावरी प्रक्षेत्र, इटावा
पशुचिकित्सा अधिकारी
संयुक्त निदेशक फोरेन्सिक लैब
संयुक्त निदेशक सूकर नियंत्रण अलीगढ
उपनिदेशक (प्रक्षेत्र)
अपर सांख्यकीय अधिकारी
वित्त एवं लेखाधिकारी
पशुचिकित्सा अधिकारी
सहायक कृषि अभियन्ता
सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)
प्रक्षेत्र प्रबन्धक
प्रक्षेत्र अधीक्षक
प्रा0 सहा0 (कृषि)

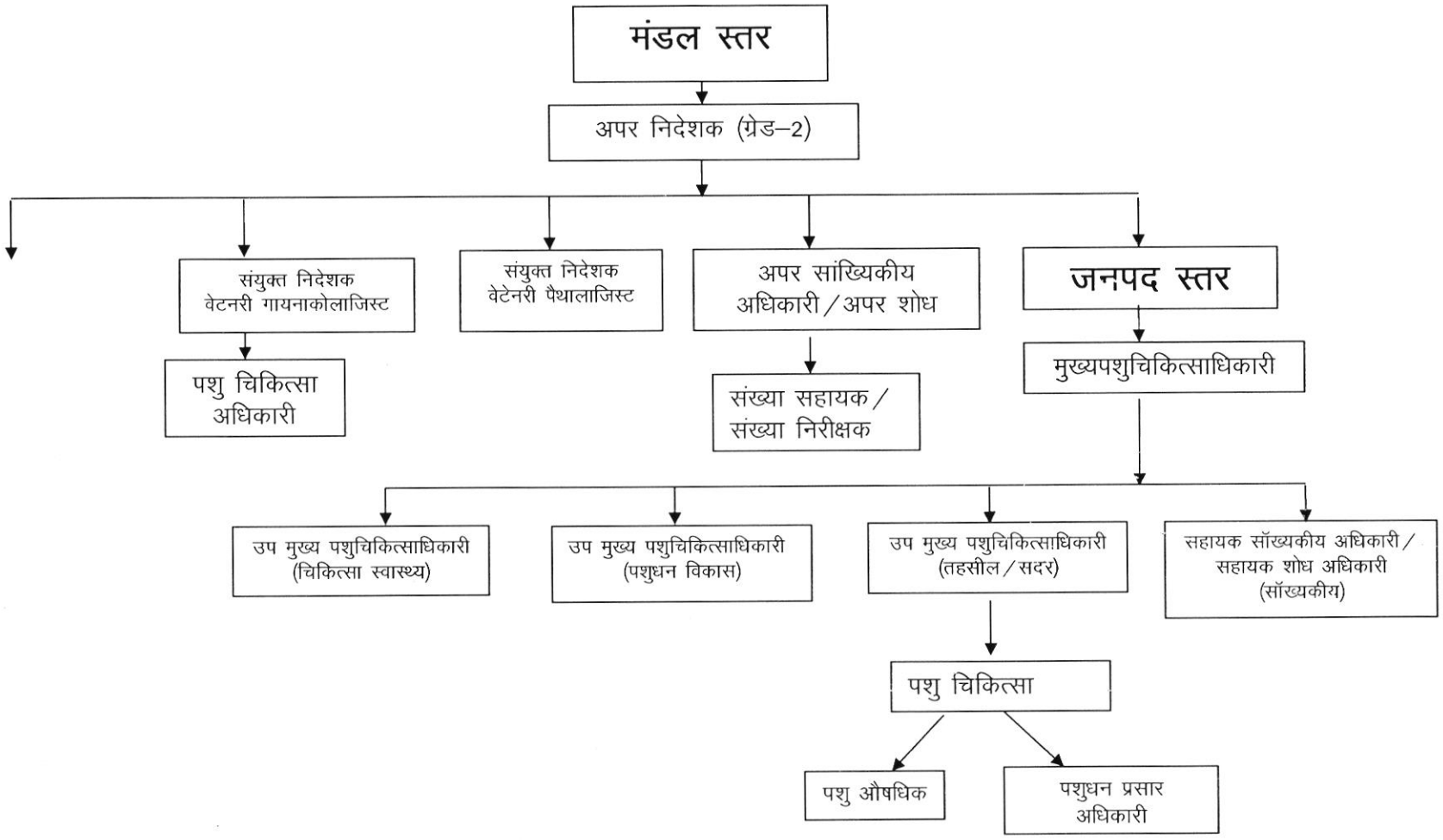
मंडल स्तर
अपर निदेशक (ग्रेड–2)
संयुक्त निदेशक
वेटनरी गायनाकोलाजिस्ट
संयुक्त निदेशक
वेटेनरी पैथालाजिस्ट
अपर सांख्यिकीय
अधिकारी / अपर शोध
जनपद स्तर
पशु चिकित्सा
अधिकारी
संख्या सहायक /
संख्या निरीक्षक
मुख्यपशुचिकित्साधिकारी
उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
(चिकित्सा स्वास्थ्य)
उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
(पशुधन विकास)
उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
(तहसील / सदर)
सहायक सॉख्यकीय अधिकारी /
सहायक शोध अधिकारी
(सॉख्यकीय)
पशु चिकित्सा
पशु औषधिक
पशुधन प्रसार
अधिकारी